

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम एतद् द्वारा बनाते हैं, जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में पदों की भर्ती और इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु, प्रवृत्त (लागू) होंगे, अर्थात्—

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989

भाग-।

सामान्य

1. लघु (संक्षिप्त) शीर्षक और लागू (प्रभावी) होना : (1) ये नियम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 कहलायेंगे और ये सम्पूर्ण पुलिस प्रतिष्ठान (Entire Police Establishment) पर लागू होंगे।

(2) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने को तिथि से प्रभावशील होंगे।¹

2. परिभाषायें : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(ए) "नियुक्त प्राधिकारी" से तात्पर्य है—

(i) निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों के पदों के लिए: महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस।

(ii) उपनिरीक्षकों/लाइन कमाण्डरों/सुपरवाइजरों और पुलिस दूरसंचार (Police Tele-Communication) के उप-निरीक्षकों के पदों के लिए: उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय) या समान स्तर (Equivalent-Rank) का अधिकारी।

(iii) सहायक उप-निरीक्षकों/हैंड कांस्टेबलों और नियम 4² [अनुभाग I, II, IV, V और VI] में वर्णित कांस्टेबलों के पदों के लिए: पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेनट या समान स्तर का अधिकारी।

(iv) नियम 4, भाग (III) में वर्णित सहायक उपनिरीक्षकों के पदों के लिए: निदेशक, पुलिस दूरसंचार।

(v) नियम-4 वर्ग III में वर्णित कांस्टेबलों और हैंड-कांस्टेबलों, सिवाय साधारण कर्तव्यों की शाखा (General Duties Branch) में लगे हुए पदों के लिये: पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार।

(vi) पुलिस दूरसंचार में साधारण कर्तव्यों की शाखा में और जिले में मैकेनिकल यातायात शाखा (Mechanical Transport Branch) में लगे हुए कांस्टेबलों/हैंड कांस्टेबलों के पदों के लिए: सम्बन्धित जिले का पुलिस अधीक्षक।

परन्तु नियम (2)(ए) में वर्णित पुलिस प्रतिष्ठान (Police Establishment) में नियुक्त प्राधिकारी से उच्च (Superior) समस्त प्राधिकारी, भी नियुक्त प्राधिकारी समझे जायेंगे:

(बी) "अनुमोदित सूची" से तात्पर्य है, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के लिए अनुमोदित नामों को अन्तर्विष्ट (समिलित) करने वाली सूची;

(सी) "मण्डल (Board)" से तात्पर्य है, सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत गठित चयन मण्डल (Selection Board) और पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत गठित परीक्षकों का मण्डल (Board of Examiners);

(डी) "आद्योग" से तात्पर्य है राजस्थान लोक सेवा आयोग;

(ई) "सीधी भर्ती" से तात्पर्य है, नियम (ए) में विहित विधियों (तरीकों) से की गई भर्ती;

(एफ) "जिले" से तात्पर्य है और उसमें सम्मिलित है राज्य का ज़िला (District of a State) जिसमें

1. राजस्थान राज-पत्र (असाधारण) भाग 4(ग) उपखण्ड I के पृष्ठ संख्या 59 पर दिनांक 14 अगस्त, 1989 को ड्राफ्टाशित।
2. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 2 के खण्ड (ए) के उपखण्ड (iii) में अनुभाग I, II & IV की जगह पर ग्रांटस्थानित किया गया।

राजकीय रेलवे पुलिस जिला (Government Railway Police District) और वे इकाई या इकाइयाँ, जिनमें पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस ने इन नियमों के उद्देश्यों (प्रयोजनों) के लिए जिले के समकक्ष (समान) घोषित किया हुआ है;

(जी) "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है;

(एच) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट/निदेशक एवं अधीक्षक दूर-संचार-राजस्थान पुलिस" से तात्पर्य है, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस, उपमहानिरीक्षक पुलिस/निदेशक, दूर-संचार/अधीक्षक दूर-संचार राजस्थान पुलिस और पुलिस अधीक्षक एवं राजस्थान पुलिस में कमाण्डेन्ट। "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस" में पुलिस महानिरीक्षक और समान स्तर का अधिकारी सम्मिलित है "उप-महानिरीक्षक" में निदेशक, राज्य अपराध अभिलेख व्यूरो और समान स्तर का अधिकारी शामिल है। "पुलिस अधीक्षक" में सम्मिलित है, पुलिस अधीक्षक, उप-निदेशक-राजस्थान पुलिस एकेडमी (आर.पी.ए.) और समान स्तर का अधिकारी।

(आई) "कनिष्ठ पदों" से तात्पर्य है, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I के² [अनुभाग I, II, III, IV, V और VI] में घोषित पद;

(जे) "पुलिस प्रतिष्ठान" से तात्पर्य है, और इसमें सम्मिलित है, पुलिस विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और ऐसी अन्य इकाइयाँ, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सके;

¹[(के) "सेवा के सदस्य" से तात्पर्य है, इन नियमों के प्रावधानों या इन नियमों द्वारा अतिलागि (Super Sedent) आदेश या नियमों (Rules or Order) प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर (On the Basis of Regular Selection) नियुक्त व्यक्ति;

(एल) "राज्य" से तात्पर्य है, राजस्थान राज्य;

(एम) "रेज" से तात्पर्य है और इसमें सम्मिलित है, राज्य की पुलिस रेजे, राजस्थान सशस्त्र बल कांस्टेबलरी रेज सहित और ऐसी इकाइयाँ जिनमें महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों से पुलिस रेज के समान घोषित किया हुआ है;

(एन) "अनुसूची" से तात्पर्य है, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II;

(ओ) "वरिष्ठ पदों" से तात्पर्य है, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I के² [अनुभाग I, II, III, IV, V और VI] में इस प्रकार घोषित पद;

(पी) "सेवा" से तात्पर्य है, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा;

(क्य) "संस्थायी नियुक्ति" से तात्पर्य है, इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित (Prescribed) भर्ती के तरीकों में से किसी तरीके से उचित चयन (Due Selection) द्वारा स्थायी रिक्ति (Substantive Vacancy) विरुद्ध की गई नियुक्ति, जिसमें परीबीक्षा पर की गई नियुक्ति (An Appointment on Probation) या परीबीक्षीय व्यक्ति की परीबीक्षा की अवधि की समाप्ति के बाद किया गया स्थायीकरण (পুষ্টিকরণ) भी शामिल है;

टिप्पणी—इन नियमों के अन्तर्गत "विहित भर्ती" के तरीकों में से किसी तरीके द्वारा किया गया उचित चयन³ में सम्मिलित होगा सेवा के प्रारंभिक गठन (Initial Constitution of the Service) या भारतीय सेवावाद के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाये गये (Promulgated) किन्हीं नियमों के प्रावधानों की अनुपालना में की गई भर्ती, सिवाय आवश्यक अस्थाइ नियुक्ति (Urgent Temporary Appointment) के;

(आर) "सेवा" या "अनुभव"—जहाँ इन नियमों में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा में ही एक ब्रेणी

1. विज्ञप्ति संख्या एक 7(ए) कार्यिका/ए II/96 जी एस नं. 61, दिनांक अक्टूबर 10, 2002 में राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2002 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हुआ तथा राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 (ग)(1) दिनांक 16.10.2002 के पृष्ठ 109(6) पर प्रकाशित से प्रसिद्धिपूर्ण।

2. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 2 के खण्ड (आई एवं ओ) में अनुभाग I, II, III व IV की जगह पर दक्ष व्यक्ति प्रतिष्ठापित किया गया।

नियम 2 आर-4]

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989
(Category) से दूसरी में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्ति के लिए सेवा या अनुभव शर्त के रूप में विहित है, वहाँ ऐसे व्यक्ति, जो निम्न पद (Lower Post) पर कार्यरत हो और उच्च पद पर पदोन्ति के लिए पात्र (Eligible) हो, के मामले में वह अवधि, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भारतीय सेवावाद के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाये गये नियमों के अनुसरण में (In Accordance) नियमित चयन (Regular Selection) के बाद ऐसे निम्न पद (Such lower post) पर लगातार कार्य किया हो (Continuously Worked) सम्मिलित होगी (Shall include); और

सेवा से अनुपस्थिति (Absence During Service) यथा, प्रशिक्षण, अवकाश और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो कि राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर.) 1951 के अधीन "कर्तव्य (Duty)" माने जाते हैं, भी पदोन्ति के लिए वाचित अनुभव या सेवा की गणना करने के लिए सेवा के रूप में मानी जावेगी।

(एस) "वर्ष" से तात्पर्य है, वित्तीय वर्ष जब तक कि स्पष्ट रूप (Specifically) से अन्यथा (Otherwise) प्रावधित (Provided) नहीं किया हुआ हो।

3. अर्थ लगाना (Interpretation) : जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो राजस्थान जनरल क्लारेज एक्ट (राजस्थान का अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1955), इन नियमों का अर्थ लगाने के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जैसे कि राजस्थान अधिनियम के लिए लागू होता है।

भाग—II

संवर्ग (CADRE)

4. सेवा का गठन (Composition) और संख्या (Strength) : (1) ⁴ [सेवा के छ: अनुभाग] होंगे, अर्थात्—

अनुभाग-I—सशस्त्र पुलिस (Armed Police), सिविल पुलिस और इन्टलीजेंस शाखा तथा दूर-संचार निदेशालय (Tele Communication Directorate) की सामान्य कर्तव्य शाखा (General Duties Branch)

अनुभाग-II—मेवाड़ भील कौर

अनुभाग-III—राजस्थान पुलिस का दूर-संचार निदेशालय

अनुभाग-IV—राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी (R.A.C.)

1[अनुभाग-V—आसूचना शाखा

अनुभाग-IV—राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल]

अनुसूची-I के कालम 5, 6 एवं 7 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अध्यधीन पदोन्ति का अधिकार प्रत्येक भाग के लिए परिसीमित (Confined) होगा। सेवा का कोई भी सदस्य सामान्यतः एक भाग से दूसरे में, यहाँ तक कि समकक्ष पद (Equivalent Post) पर भी स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों (Extraordinary Circumstances) में, ऐसी शर्तों के अधीन, जो राज्य सरकार के पूर्व अनुभोदन से महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा विनिश्चित की जाए। सेवा के प्रत्येक भाग में सम्मिलित किये गये पदों की प्रकृति (Nature) अनुसूची-I के कालम 2 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

2[परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को आसूचना शाखा में सम्मिलित पद पर भर्ती किया गया समझा जायेगा—

(i) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आसूचना शाखा में सम्मिलित पद पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 के प्रारंभ से पूर्व नियमित रूप से भर्ती किया गया था।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो सशस्त्र पुलिस और सिविल पुलिस से है तथा आसूचना शाखा में सम्मिलित पद पर कार्य कर रहे हैं और पुलिस महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लिखित विकल्प द्वारा आसूचना शाखा के लिए विकल्प करते हैं।]

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा एवं 27.1.2914 द्वारा पृष्ठ में "सेवा के छ: अनुभाग" की जगह उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित किये गए प्रव. अनुभाग IV के परन्तु अनुभाग V एवं VI प्रतिस्थापित किया गया।

2. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 4 में परन्तु जोड़ा गया।

2. प्रत्येक भाग में पदों की संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किये गये (Determined) अनुसार होगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

अ—सरकार समय-समय पर, आवश्यकता होने पर, स्थायी या अस्थायी कोई पद सूचित कर सकती है और इसी तरीके से किन्हीं ऐसे पदों को, किसी व्यक्ति को बिना किसी मुआवजे (Compensation) का हकदार बनाते हुए, समाप्त कर सकती है।

ब—नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर, किसी स्थायी (Permanent) या अस्थायी (Temporary) पद को, बिना किसी व्यक्ति को किसी मुआवजे का हकदार बनाते हुए, बिना भरे (रिक्त) (Leave Unfilled) छोड़ सकती है या कालातीत कर सकती है (Held in Abeyance) या समाप्त होने के लिए अनुज्ञेय (Allow) कर सकती है।

5. सेवा का प्रारम्भिक गठन : सेवा में सम्मिलित होंगे—

- अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट संस्थायी रूप से पद धारक सभी व्यक्तियाँ,
- इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व सेवा किये गये सभी व्यक्ति, और
- इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये सभी व्यक्ति।

भाग—III

भर्ती (RECRUITMENT)

6. भर्ती के तरीके (Methods) :

(1) सेवा में भर्ती की जाएगी—

(ए) इन नियमों के भाग IV के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा (By Direct Recruitment) परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूची-I के भाग I के पदों पर सीधी भर्ती केवल शस्त्र शाखा (Armed Branch) में ही की जाएगी। इस प्रकार भर्ती किये गये व्यक्ति पूर्णतया : विरुद्धता के आधार पर (Strictly in accordance to the seniority) भाग I के नियम 4 में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समय-समय पर विहित किये गये भर्ती पाद्यक्रम (Induction Course) को पूर्ण कर लेने के बाद दूसरी शाखाओं में स्थानान्तरण के पात्र होंगे :

परन्तु आगे प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष वर्ष में या अदृश्य आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए (To meet Unforeseen Eventualities) शस्त्र शाखा में कोई रिक्त (Vacancy) उपलब्ध नहीं है तो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस अन्य शाखा (Other Branch) में भी भर्ती अनुज्ञेय (Allow) कर सकता है।

¹[परन्तु यह और कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस में कॉस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती, उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 के अधीन कॉस्टेबल, खनिज संरक्षण बल के पद के लिए वर्ष 2013 में निदेशक, खान एवं भू-गर्भ विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित लिखित परीक्षा अर्हित की हो और महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किया हो, की जा सकती।]

²[बी) इन नियमों के भाग-V के अनुसार पदोन्नति द्वारा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियमों में ऐसे स्थानापन (Officiating) अस्थाई (Temporary) कर्मियों (Officials), जो पुर्वसंगठित राजस्थान राज्य (Pre-Re-organised State of Rajasthan) अजमेर, बम्बई और मध्य भारत के नियोजन में पहले से ही हैं और जो उपयुक्त पदों (Suitable Posts) पर उनकी सेवा के एकीकरण (Integration of their Service) को विनियंत्रित करने वाले नियमों, आदेशों या निर्देशों के अनुरूप, आयोग द्वारा उनकी उपयुक्तता अधिनिर्णीत कर दिये जाने के बाद (After getting their suitability adjudged by the Commission) भी किसी लोक

1. अधिसूचना सं. एफ. (2) डीओपीए-II/2003 दिनांक 20-04-2015 द्वारा नियम 6 के लिए (ए) के विवादान परन्तु के पश्चात् यथा परन्तु जोड़ा गया।

2. विवरित संख्या एफ. 5 (2) डी ओ पीए-II/2008, पाठ-1, लो. एस. जार. 22, जुलाई 8, 2009 द्वारा यथा परन्तु जोड़ा गया।

सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं हुए है, को नियुक्त करने में राज्य सरकार को कोई दीज नहीं रोकेगी। उनकी विरुद्धता 1-11-56 को अस्थाई, स्थानापन (Temporary,Officiating) कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की गई (As determined by the Government) इन्टरलेस्ट वरिष्ठता (Interlaced Seniority) सूची में दिखाई गई उनकी स्थिति के अनुसार होगी।

(2) पूर्वोक्त ढंग से बेदा में भर्ती ऐसी गति से को जाएगी कि प्रत्येक ढंग से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति समय-समय पर प्रत्येक प्रवर्ग के लिये मंजूर की गई, नियमों/अनुसूची में अधिकथित की गई कुल काडर संख्या के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक न हो।

3. सम्पूर्णरूप से स्वीकृत पदों (Duly Sanctioned Posts) पर अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति (Persons Irregularly appointed) और जिन्होंने 10.4.2006 को दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, बिना किसी व्यायालय या अधिकारण (Court or Tribunal) के हस्तक्षेप के और जो इन रांशोधित नियमों के प्रभावी होने की तिथि (दिनांक) को ऐसे पद पर लगातार (अनवरत, Continuously) कार्य कर रहे हैं, एक कमेटी द्वारा स्क्रीन किये जाएंगे (Shall be Screened), जिसमें होंगे—

(ए) आयोग के कार्यक्षेत्र (Purview) में आने वाले पदों के मामले में—

- आयोग का अध्यक्ष अथवा उसका नामित (Nominated) कोई सदस्य;
- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग (Department of Personnel);
- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उसका नामित (Nominee) उपसचिव से कम की रैक से नीचे का नहीं; एवं
- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग।

(बी) आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर (Outside the Purview) आने वाले पदों के मामले में—

- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग;
- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उसका नामित, उपसचिव से कम की रैक से नीचे का नहीं;
- सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे उनकी प्रारम्भिक अनियमित नियुक्ति की दिनांक को नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिये पात्र (Eligible) ये एवं स्क्रिनिंग के समय रिक्त (Vacancy) उपलब्ध है। नियुक्ति प्रारम्भिक व्यक्ति का नियुक्ति आदेश (Appointment Order) जारी करेगा, जिसे स्क्रिनिंग कमेटी ने उपयुक्त पाया है (Adjudged Suitable) एवं नियुक्ति, ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

³6क—मृत/स्थाई रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरामिलेट्री/कार्मिकों के आश्रितों को अनुकूप्तात्मक नियुक्ति—

1. इन नियमों में अन्तर्भूत किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति अधिकारी शैक्षणिक अहंताओं और चूसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, की सहमति के अधीन रहते हुये—

- आधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (2) कार्यक्रम-2/81 (42/96) दिनांक 13.11.96;
- विवरित संख्या एफ. 5 (2) डी ओ पीए-II/2008, पाठ-1, लो. एस. जार. 22, जुलाई 8, 2009 द्वारा यथा परन्तु जोड़ा गया।
- अधिसूचना संख्या एफ. 5 (3) कार्यक्रम-क्रमांक 2/94, दिनांक 30 अक्टूबर 1, 2002 द्वारा जल्दी प्राप्त जो दिनांक 01.04.1999 से प्रवृत्त हुई।

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतनमान संख्या 9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो विद्रोह की जवाबी कार्यवाहियों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाहियों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्यवाही में (01.04.1999 को या बाद में) स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके (By appointing on compassionate grounds);

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतनमान संख्या 11 तक के पदों की रिक्तियां राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो विद्रोह की जवाबी कार्यवाहियों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाहियों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्यवाही में [01.04.1999 को या बाद में]¹ मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त कर के भर सकेगा।

²[(ii) 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की अवधि के दौरान आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाहियों (Operation against Terrorists) तथा युद्ध (War) अथवा अन्य किन्हीं प्रतिरक्षा कार्यवाहियों (Any Defence Operations). Counter insurgency operation सहित में स्थायी रूप से अशक्त हुये (Permanently Incapacitated) या मर गये (Died), राज्य के सम्बन्धित (Belonging to State) सशस्त्र बलों के सदस्य (Member of Armed Forces) के आश्रितों (Dependents) में से एक को अनुकम्पात्मक आधार पर (On Compassionate Grounds) नियुक्त किया जाकर सीधी भर्ती से वेतन शून्खला 9-ए के पद तक भरा जा सकेगा];

परन्तु—

³[(i) 01.01.1971 से 31.03.1999 की सम्यावधि के दौरान सशस्त्र बलों के सदस्य जो मर गये हैं अथवा स्थायी रूप से अशक्त (Permanently Incapacitated) हो गये थे, के आश्रित, जो इन संशोधित नियमों (Amendment Rules) के लागू होने (Commencement) के एक वर्ष के भीतर (Within one year) नियुक्ति के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, के मामले में उच्चतम आयुसीमा (upper age limit) 45 वर्षों तक शिथिल को जाएगी (shall be relaxed)];

(ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री के स्थाई रूप से निश्चित कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिये रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जाएगा;

(iii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री का कार्मिक जो मारा गया है, या स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, जो विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार पाने की स्थिति में नहीं है तो नियुक्ति के लिये पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा।

(2) सशस्त्र बलों/मिलिट्री कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति के बल तब दी जाएगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान सम्बन्धित सेवा नियमों के उपरबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई ओड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह शर्त वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ विधवा स्वयं अपने लिये रोजगार खाली है।

1. विवरित मंड़ा एफ.5 (3) डी. ओ. पी./ए-ए/94, जी.एस.आर 42, जून 10, 2008 से अन्तर्भूत।
2. विवरित मंड़ा एफ.5 (3) डी. ओ. पी./ए/94, जी.एस.आर 42, जून 10, 2008 से नवा गण्ड (III) जोड़ा गया।
3. विवरित मंड़ा एफ.5 (3) डी.ओ.पी./ए, II/94, जी.एस.आर 42, जून 10, 2008 द्वारा परन्तु (i) के लिये प्रतिस्थापित।

(4) इस प्रयोजन के लिये सेवा आश्रित, आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सीनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा मिलिट्री बलों के लिये पैरा मिलिट्री यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बन्धित करेगा, जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगा।

सशस्त्र बलों/पैरा मिलिट्री बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु के समय/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर सामान्यतः भर्ती नियमों को शिथिल करते हुये इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा कि आश्रित, चुरुठ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति को छोड़ कर, जिसके लिये शैक्षणिक अहंतायें शिथिल की जाएगी, ऐसे पद के लिये विहित शैक्षणिक अहंतायें और अनुभव तथा आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अहंत भी है।

(5) ऐसे आश्रित का, आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अहंताओं के अनुसार उपर्युक्त नियुक्ति के लिये सम्बन्धित जिला कलक्टर को अप्रेषित किया जाएगा। सम्बन्धित जिले में रिक्त उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा, जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनायें होंगी—

- (i) सशस्त्र बल/पैरा मिलिट्री बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम व पदनाम;
- (ii) यूनिट, जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;
- (iii) युद्ध में हताहत घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु या स्थायी रूप से अशक्त होने की दिनांक व तारीख।
- (iv) आवेदक का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक अहंतायें और मृत्यक के साथ उसका सम्बन्ध (प्रणाली पत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण:—

इस नियम के प्रयोजन के लिये—

- (क) "सशस्त्र बल" से संघ की सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है।
- (ख) "आश्रित" से मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है, जो मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा मिलिट्री कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे।

टिप्पणी—दत्तक पुत्र/पुत्री से मृतक/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा मिलिट्री बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिव्वत सीमा पुलिस और कोई पैरा मिलिट्री बल अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जावे।

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार अधिनियम, 1995 (वर्ष 1996 का अधिनियम संख्या 1) में यथा उपर्युक्त "निःशक्त व्यक्ति" पद की परिभाषा के अधीन जाता है।

[यदि संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत (Under the Jurisdiction of Divisional Commissioner) रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रार्थनापत्र संभागीय आयुक्त द्वारा, नियुक्ति देने हेतु राज्य सरकार को, कार्मिक विभाग में, संदर्भित किया जाएगा (Shall be Referred)]

1. विवरित मंड़ा एफ.5 (3) डी. ओ.पी./ए-ए/94, जी.एस.आर 42, जून 10, 2008 द्वारा जोड़ा गया।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण (Reservation of Vacancies):

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती, अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय [राजस्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों विशिष्ट स्थानों में सीटों का आरक्षण एवं राज्य में सेवाओं में नियुक्तियाँ] अधिनियम, 2008 के अनुरूप होगा।

(2) पदोन्नति के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को वरिष्ठता एवं योग्यता (Seniority-Cum-Merit) और योग्यता (Merit) के आधार पर भरा जाएगा।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के पात्र अध्यर्थियों को उसी क्रम में, जिनमें उनके नाम सीधी भर्ती के मामले में आयोग के शेत्राधिकार में आने वाले पदों के लिये तथा अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी और पदोन्नति के मामले में मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा तैयार की गई सूची में है, दूसरे अध्यर्थियों की तुलना में उनकी अपेक्षाकृत श्रेणी (Relative Rank) को ध्यान में नहीं रखते हुए, रखा जाएगा।

[(4) नियुक्तियां, कठोरता से, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये अलग-अलग निर्धारित (विहित) रोस्टरों (क्रम सूचियों के अनुसार, की जाएंगी। किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यथा स्थिति, के पात्र एवं उपयुक्त (Eligible and Suitable) आशाधियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियाँ आगे ले जाई जायेगी (Shall be Carried Forward), जब तक कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, जैसा भी मामला हो, के योग्य आशाधी (Suitable Candidates) उपलब्ध न हो। किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियाँ, पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा सामान्य श्रेणी के आशाधियों (General Category Candidates) से नहीं भरी जाएंगी। तथापि, अपवाद स्वरूप मामलों में (However, in Exceptional Cases) जहां नियुक्ति प्राधिकारी महसूस करता है कि सार्वजनिक हित (Public Interest) में यह आवश्यक है कि रिक्त आरक्षित पद या पदों (Vacant Reserved Posts) को आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर पदोन्नति द्वारा सामान्य श्रेणी के आशाधियों से भरा जाना आवश्यक है, तो नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing authority), कार्यिक विभाग (Department of Personnel) को संदर्भ कर सकता है। (May Make a Reference) तथा कार्यिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (After obtaining Prior approval) ये ऐसे पद या पदों को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट अंकित करते हुये कि सामान्य श्रेणी के आशाधी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति किये गये हैं, को ऐसी श्रेणी का आशाधी/के आशाधियों के उपलब्ध होने पर पद को रिक्त करना होगा (Shall have to Vacate the post), आवश्यक अस्थायी आधार पर (On urgent temporary Basis) पदोन्नति द्वारा सामान्य श्रेणी के आशाधियों से भर सकते हैं।]

[7-ए. पिछड़ी जातियों (पिछड़े वर्गों), विशिष्ट पिछड़ी जातियों (विशिष्ट पिछड़े वर्गों एवं अर्थात् रूप से पिछड़े वर्गों के लिये रिक्तियों का आरक्षण)—

सीधी भर्ती के समय पिछड़ी जातियों (पिछड़े वर्गों), विशिष्ट पिछड़ी जातियों (विशिष्ट पिछड़े वर्गों) एवं अर्थात् रूप से पिछड़े वर्गों के लिये रिक्तियों का आरक्षण, (राजस्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

1. दिलाइ संख्या एफ 7 (8) दी.ओ.पी./ए-II/2008, जो एस.आर. 31, दिनांक 28, 2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतियोगिता।

2. विविध संख्या एफ 7 (4) कार्यिक/ए-II/2002 (32/02), दिनांक 10.10.2002 द्वारा प्रतियोगिता एवं तृतीय प्रभाव से प्रवृत्त।

जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशिष्ट पिछड़े वर्गों एवं अर्थात् रूप से पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण एवं राज्य में सेवाओं में नियुक्तियाँ) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप होंगा। किसी खास वर्ष में पिछड़े वर्गों, विशिष्ट पिछड़े वर्गों एवं अर्थात् रूप से पिछड़े वर्गों के पात्र (Eligible) एवं योग्य (Suitable) आशाधी की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया (Normal Procedure) के अनुरूप (IN Accordance) भरी जाएंगी।]

7-बी. 1[“महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में महिला अध्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं अध्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अध्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह-महिलाओं से या विवर्येन, भरा जा सके। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अध्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियाँ उसी पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अध्यर्थियों के उपलब्ध न होने की जाएंगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समावोजित किया जायेगा।]

स्पष्टीकरण- विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विछेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।”]

2[7 सी. “उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण : उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए निश्चित वर्ष में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और एसी रिक्तियाँ पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अप्रीनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समावोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण—“उत्कृष्ट खिलाड़ियों” से अभियंत है और इसमें सम्मिलित है एन्ड के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने—

(i) इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्श में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

(ii) इण्डियन स्कूल स्पॉर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्श में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

(iii) इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्श में मेडल जीता हो;

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्श में या टीम स्पर्श में मेडल जीता हो।]

3[7. डी. राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण— सम्यक रूप से सेवोन्मुक भूतपूर्व सैनिकों के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में की कुल रिक्तियों का 50% होगा। ऐसा आरक्षण प्रवर्गवार होगा और स्वयं अपनी योग्यता पर चयनित किसी भूतपूर्व सैनिक की संगठना भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति की जायेगी। किसी प्रवर्ग में उपयुक्त

1. अधिनियम सं. एफ 7(2)/कार्यिक/क-2/88 पार्ट 1 दिनांक 22-12-2015 द्वारा 7(बी) प्रतिस्थापित किया गया।

2. अधिनियम सं. एफ 7(31)/दीओपी/ए-II/84, दिनांक 15.3.2013 को नियम 7 (ए) में जोड़ा गया।

3. अधिनियम सं. एफ 2(1)/दीओपी/ए-II/2003, दिनांक 27.01.2014 द्वारा नियम 7 व अन्तस्थापित किया गया।

भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता को दशा में रिकिया उसी प्रवर्ग के अन्य उपयुक्त अध्यर्थियों से उनके योग्यताक्रम में भरी जायेंगी और अप्रीनीत होनी की जायेंगी। आरक्षण विभक्त क्षेत्रिज आरक्षण के रूप में माना जायेगा। राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का अमेलन) नियम, 1988 के उपर्यंथ राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में सम्मिलित पदों पर को नियुक्ति पर लागू होने होंगे।

8. राष्ट्रीयता : सेवा में नियुक्ति के लिये एक अध्यर्थी होना चाहिये—

(ए) भारतवर्ष का नागरिक, अथवा

(बी) नेपाल का निवासी, अथवा

(सी) भूटान का निवासी, अथवा

(डी) एक तिक्ती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व, स्थायी रूप से भारतवर्ष में बसने के आशय (इरादे) से आया हो, अथवा

(ई) भारतीय मूल का नागरिक, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देशों, केन्या, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, (पूर्व तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालबी, जेरा और इथोपिया से भारतवर्ष में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से आया हो या प्रवास किया हो।

परन्तु (बी), (सी), (डी) और (ई) श्रेणियों (Categories) का कोई अध्यर्थी, वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में उपयुक्तता का एक प्रमाण-पत्र (A certificate of Eligibility), ¹[समुचित प्रमाणीकरण के पश्चात् (After Proper Verification)] गृह मामलात एवं न्याय विभाग (Department of Home Affairs and Justice) भारत सरकार द्वारा जारी कर दिया गया हो।

[परन्तु]²

9. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति के लिये, जो दूसरे देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के बहेश्य से आया है, राष्ट्रीयता, आयु सीमा और फौस या अन्य सुविधाओं (Concessions) के बारे में सेवा में भर्ती की पात्रता सम्बन्धी प्रावधान (उपबन्ध), राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या निर्देशों के अनुरूप विनियोजित होंगे और उनका पालन अध्यरणः राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

10. रिकियाँ का निर्धारण : (1) (ए) इन नियमों के प्रावधानों (उपबन्धों) के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को, वास्तविक रिकियों की संख्या, जो वित्तीय वर्ष के दौरान होना सम्भावित हो, विनियोजित करेगा।

(बी) जहां पर, नियम या अनुसूची 1 के विहित एकोय प्रणाली (Single Method) से भरा जाता है, तो वहां इस प्रकार विनियोजित की गई रिकियाँ, उस तरीके (प्रणाली) से भरी जाएंगी।

(सी) जहां, कोई पद नियमों की अनुसूची-1 में विहित एक से अधिक प्रणाली से भरा जाना हो, तो उपरोक्त खण्ड (ए) के अधीन विनियोजित की गई रिकियों का विभाजन वितरण (Apportionment) समग्र रूप से भरे जा सके पदों की संख्या के लिये निर्धारित अनुपात को कायम रखते हुए प्रत्येक ऐसे तरीके से किया जाएगा। यदि रिकियों का कोई अंश (Fraction) ऊपर विहित तरीके से रिकियों का विभाजन करने के बाद, अवशेष रहता है (Left over) तो वह पदोन्नति अभ्यांश (Quota) को प्राथमिकता (Procedence) देते हुए, लगातार चक्रीय क्रम (Continuous Cyclic Order) में विभिन्न विहित तरीकों (प्रणालियों) के अभ्यांश में विभाजित किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्व वर्षों (Earlier years) की ऐसी रिकियाँ, जो पदोन्नति से भरी जानी थी, का वर्ष-भार विनियोजय करेगा, यदि ऐसी रिकियाँ उन वर्षों में जिनमें वे भरी जानी थी, विनियोजित नहीं की गई थी और पूर्व में भरी नहीं गई थी।

11. आयु (Age) : सेवा में सीधी भर्ती के लिये एक अध्यर्थी को प्राप्त करना आवश्यक है—

(ए) सब इन्स्पेक्टर/प्लाटन कमाण्डर के पद के लिये, प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित अनिम तिथि

के बाद आने वाली अगली जनवरी के प्रथम दिवस को, 20 वर्ष की आयु और 23 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिये।

(ब) कांस्टेबलों (सिपाहियों) के पद हेतु, प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अनिम तिथि के बाद आने वाली अगली जनवरी, के प्रथम दिवस को, 18 वर्ष की आयु और 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिये, फिर भी कांस्टेबल (झाइवर) के लिये उच्च आयु-सीमा 24 वर्ष होगी :

परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि—

उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता (छूट) दी जायेगी—

(ए) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अध्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष।

(बी) सामान्य: श्रेणी¹ [एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की] महिला अध्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष।

(सी) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की महिला अध्यर्थियों के मामले में

²[10 वर्ष]: संथा

राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्तव्य का पालन करते हुये मारे गये मृतक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के मामले में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) भूतपूर्व सैनिक कर्मियों (Ex-Service Personnel) और आशिकी (Rivisionist) जो रिजर्व में स्थानान्तरित हो गये हैं, के मामले में कठोर वर्णित उच्च आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् उपरोक्त वर्णित उच्च-आयु सीमा में, असाधारण मामलों में, 3 वर्ष की शिथिलता (छूट) दी जा सकती है।

(4) सेवा मुक्त आपातकालीन अधिकारी (Released Emergency Commissioned Officers) और अल्पकालीन सेवा अधिकारी (Short Service Commissioned Officer), जो सेना से मुक्त कर दिये गये हैं, जब वे आयोग के समक्ष टपस्थित होते हैं, आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझे जायेंगे, यदि वे सेना में कमीशन प्राप्त करते समय, इस प्रकार पात्र थे।

³[५] जहाँ नियमों या अनुसूची, व्यास्थिति, में पद / पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष या कम विहित की गई है, वहां इस ⁴[पिछड़े वर्गों एवं विशिष्ट पिछड़े वर्गों] के अध्यर्थियों के मामलों में ⁵[५] वर्ष तक शिथिल किया जाएगा।

⁶[राज्य सेवाओं में सभी श्रेणियों (Categories) के पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित उच्च आयु सीमा (Upper age-Limit) जहाँ कहीं नियमों द्वारा अनुसूचियों में विहित (Prescribed) है, दो वर्षों के लिये जबाई जाएगी। जो दिनांक 01.01.1999 के बाद उच्च आयु सीमा को पार कर चुके हैं वे राज्य सेवा में आगे दो वर्षों के लिये पात्र होंगे, अर्थात् 24.5.2004 से 23.5.2006 तक।]

⁷[विज्ञप्ति संख्या एफ. 7 (2)/कार्मिक-2/84 पार्ट नियम 25-6-2004 के प्रावधान इन नियमों के नियम-11 के खण्ड (बी) पर लागू नहीं होंगे।]

12. शैक्षिकिक और तकनीकी योग्यताएँ- सेवा में सीधी भर्ती के लिये एक आशार्थी की रखना होगा—

(1) अनुसूची-1 के स्तम्भ (Column) 4 में दो गई अहंताये (योग्यताये, Qualifications), और

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति (Culture) का ज्ञान।

1. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(8)/डीओपी/ए-II/2008, जी.एस.आर. 31, अगस्त 28, 2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित एवं प्रभावी।

2. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(2)/कार्मिक-ए-II/84, पार्ट, जी.एस.आर. 17, दिनांक अप्रैल 30, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित एवं तुरन्त प्रभावी।

3. अधिसूचना सं. एफ. 7(2)/कार्मिक-क-2/84 (45/96) दिनांक 13.11.1996.

4. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(8)/डीओपी/ए-II/2008 जी.एस.आर. 31, अगस्त 28, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित एवं तुरन्त प्रभावी।

5. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(8)/डीओपी/ए-II/2008, जी.एस.आर. 31, अगस्त 28, 2009 द्वारा 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष प्रतिस्थापित।

6. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(2)/कार्मिक-ए-II/84, पार्ट, जी.एस.आर. 17 दिनांक जून 25, 2004 से प्रभावी।

7. विज्ञप्ति सं. एफ. 2(1)/डीओपी/ए-II/2003, जी.एस.आर. 21, जून 13, 2005 से प्रतिस्थापित एवं तुरन्त प्रभावी।

1. विज्ञप्ति सं. एफ. 7(2)/कार्मिक/ए-II/2002, जी.एस.आर. 98, दिनांक 17 फरवरी, 2002 द्वारा तुरन्त प्रभाव अन्तःस्थापित एवं प्रभावी।
2. परन्तुकृष्णप्रिया।

13. आचरण, चरित्र (Character): सीधी भर्ती के लिये एक आशार्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये, जो उसे सेवा में नियोजन के लिये अर्ह (Qualify) करे। उसे किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या किद्यालय, जिसमें उसने अंतिम शिक्षा पाई, के प्रमुख शैक्षिक अधिकारी (Principal Academic Officer) का अच्छे आचरण का एक प्रमाण पत्र और दो जिम्मेदार व्यक्तियों, उसके विद्यालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (Connected) न हो और उसके सम्बन्धी (रिस्टेंटियर) न हो, से ऐसे दो प्रमाण-पत्र, जो प्रार्थना पत्र की तिथि से 6 माह के पूर्व के नहीं लिखे हों, प्रस्तुत करने होंगे।

ब्याख्या (Explanation) : (1) किसी अपराध के लिये विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि (Conviction by a Court of Law) स्वयं में अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र देने से मना करने का पर्याप्त कारण नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये और यदि उनमें कोई नैतिक पतन (Moral Turpitude) या हिंसा के अपराधों से सम्बद्धता या ऐसे आनंदोलन, जिसका उद्देश्य हिंसात्मक तरीकों से विधि द्वारा संस्थापित सरकार को उखाड़ फेंकना, स्थिरित नहीं है, तो केवल दोषसिद्धि एक अनर्हता (Disqualification) नहीं मानी जानी चाहिये।

(2) भूतपूर्व कैदी (Ex-prisoners), जो जेल में रहते हुए अनुशासनबद्ध जीवन और उनके पश्चात्कर्त्ता अच्छे आचरण के कारण पूर्णतया सुधरे हुए साथित हो चुके हों, के साथ पूर्व दोषसिद्धि से आशार्थी पर सेवा में नियुक्ति के उद्देश्य से प्रभेद नहीं किया जाना चाहिये। जो, ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्धि किये गये हों, जिसमें नैतिक अधमता (पतन) सम्बन्धी अपराध नहीं हो, और यदि वे अधीक्षक, पश्चात्कर्त्ता देखभाल गृह (Superintendent After Care Home) और यदि किसी विशेष जिले में ऐसे सुधार गृह न हों तो, उसे जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, तो वे पूर्णतः सुधरे गृह (Completely Reformed) माने जाएंगे। जो, नैतिक अधमता (पतन) सम्बन्धी अपराधों के लिये दोषसिद्धि किये गये हों, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अधीक्षक, पश्चात्कर्त्ता देखभाल गृह से, जिस पर जेलों के महानिरीक्षक का पृष्ठांकन होगा, इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वे जेल में रहते हुए उनकी अनुशासित जिन्दगी से और तत्पश्चात् एक पश्चात्कर्त्ता देखभाल गृह में अच्छे चरित्र के कारण पूर्णतया सुधर गये हैं और रोजगार के योग्य हैं, प्रस्तुत करें।

14. शारीरिक उपचुक्ता, चुक्तता, (Physical Fitness) :

(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए एक आशार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और सेवा के सदस्य के नाते उसमें अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पूरा करने की योग्यता में किसी प्रकार की वाचा उत्पन्न करने वाला मानसिक या शारीरिक दोष (कमी) नहीं होना चाहिये और यदि उसका चयन हो जावे तो उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (Notified) चिकित्सा प्राधिकारी का एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट (मुक्ति) प्रदान कर सकता है, यदि अध्यर्थी नियमित पंक्ति से पदोन्तत हुआ हो या राज्य के मामलों में पहले से ही सेवा में कार्य कर रहा हो, यदि उसकी पूर्व-नियुक्ति के लिये पहले से ही चिकित्सा परीक्षा की जा चुकी हो और उसके द्वारा धारित दो पदों के चिकित्सा परीक्षा के आवश्यक स्तर नवीन पद के कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक करने के लिये तुलना करने योग्य हो और उसकी आयु ने, इस उद्देश्य से उसकी कार्यक्षमता (दक्षता) को कम नहीं किया हो।

(2) महिला आशार्थियों के मामले के सिवाय, कोई भी आशार्थी, जो ऊँचाई में 168 सेंटीमीटर से कम और जिसका बिना फुलाया हुआ सीना 81 सेंटीमीटर से कम और ¹ [फुलाने पर सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने के साथ] सीना 86 सेंटीमीटर से कम हो, शारीरिक दृष्टि से योग्य नहीं समझा जाएगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(i) पहाड़ी और जन-जाति क्षेत्र (Hill and Tribal Areas) में रहने वाले आशार्थियों की न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और उनका बिना फुलाये और पुलाये हुए सीना क्रमशः 79 व 84 सेंटीमीटर से कम होना चाहिये।

(ii) महिला आशार्थियों की ऊँचाई एवं वजन क्रमशः 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।

1. अधिसूचना सं. एफ. 2(1) दी.ओ.पी./ए-II/2003, दिनांक 18.9.2012 द्वारा अन्वस्थापित।

(iii) नियम 14 (2) में चिह्नित शारीरिक योग्यता के मानदण्डों के धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के बांधित संख्या में सुधारणा आशार्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में, अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के वे आशार्थी जिनकी लम्बाई और सीने के माप 5 सेंटीमीटर कम हैं, भी शारीरिक दृष्टि से योग्य (उपयुक्त) माने जायेंगे।

1[(iv) कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए, बारां जिले के शहबाद और किशनगंज तहसीलों की सहरिया जनजाति के अध्यर्थी को शारीरिक रूप से योग्य समझा जायेगा यदि,—

(क) कोई पुरुष अध्यर्थी जिसकी न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं है और जिसका बिना फुलाया हुआ सीना और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 74 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर से कम नहीं है और न्यूनतम फुलाया 5 सेंटीमीटर अपेक्षित है; और

(ख) कोई महिला अध्यर्थी जिसकी न्यूनतम ऊँचाई 145 सेंटीमीटर और वजन क्रमशः 145 सेंटीमीटर और 43 किलोग्राम से कम नहीं है।]

15. अनियमित और अनुचित साधनों द्वारा नियोजन : ऐसा आशार्थी, जो भर्ती मण्ड/आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छद्म वेश में कार्य करने (Guilty of Impersonation) अथवा जाली बने हुए दस्तावेज (Fabricated Documents), जो बिगड़े हुए हों या तात्त्विक सूचना को छिपाते हों (Tempering with or Supressing Material Information) प्रस्तुत करने का दोषी है अथवा दोषी घोषित किया गया है अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों (Unfair Means) का उपयोग कर रहा है या उपयोग करने का प्रयत्न कर रहा है या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश प्राप्त करने के लिये कोई अन्य अनियमित (Irregular) या अनुचित (Improper) साधनों का अन्यथा आवश्य ले रहा है (Otherwise Resorting) अपने आप को आपराधिक अभियोजन (Criminal prosecution) के लिये उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त भी स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये रोका जा सकता है।

(ए) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन होने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये, भर्ती मण्डल/आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा।

(बी) सरकार के अधीन नियोजन से, सरकार द्वारा।

16. मतार्थना (Canvassing) : नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित को छोड़कर, भर्ती के लिये, लिखित परीक्षकों द्वारा संस्तुति (Recommendation) विचारार्थ नहीं ली जाएगी। आशार्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभ्यार्थना (Candidature) के लिये किसी तरीके से समर्थन चाहने वाला कोई प्रयत्न, उसे भर्ती के अधोग्य रूप से करना सकता है।

भाग-IV

सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

17. प्रार्थना पत्रों का आमंत्रण : ²[(1) अनुसूची-I के सभी ³[छ.] विभागों (खण्डों) में कान्स्टेबलों (सिपाहियों) की सीधी भर्ती के लिये प्रार्थना पत्र ऐसे अधिकारियों द्वारा और ऐसे तरीके से आमंत्रित किये जाएंगे, जो कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा निर्धारित किया जा सके।

विज्ञप्ति (Advertisement) में एक खण्ड (A clause) यह अन्तिरिक्ष होगा (Shall Contain) कि कोई अध्यर्थी जो उसे प्रस्तावित किये जाने वाले पद पर (On the Post being offered to him/her) कार्य करना

अधिसूचना सं. एफ. 2(1) दी.ओ.पी./ए-II/2003, जी.एम.आर. 60, जो राजस्थान राज-पत्र असाधारण भाग 4 (ग) (I) में दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित द्वारा नियम 14 के उपनियम (2) में विवरान परतुक (iii) के पश्चात नवा परतुक (iv) ओड़ा गया।

विज्ञप्ति संख्या 7(2) दी.ओ.पी./ए-II/2005, जी.एम.आर. 81, जनवरी 20, 2006 (राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा) (संशोधित) नियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया एवं तुलना प्रभाव से प्रवृच्छ हुआ है जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 (ग) (II), दिनांक 24.1.2006 के पृष्ठ 117 (31) पर प्रकाशित हुई है।

अधिसूचना सं. पर. (2) दी.ओ.पी./ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 17 के खण्ड (1) में “चार” की जगह “छ.” श्रविष्यान्वित किये गये।

स्वीकार करता है (Accepts the Assignment) को परीक्षीका अवधि के दौरान (During the Period of Probation), राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर पर मासिक स्थिर मानदेय (Fixed Remuneration) दिया जाएगा एवं विज्ञासि में अन्यत्र दर्शायी गई पद की वेतन शृंखला केवल उसी दिनांक से अनुज्ञेय की जाएगी, जबकि वह कथित नियमों में वर्णित परीक्षीका अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है (Successful Completion)।

1[(2) सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र, विभाग² [अनुभाग-I, II, V में उप निरीक्षक के तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के] के पद के लिये आयोग द्वारा, और विभाग (खण्ड) III में निरीक्षक/उप-निरीक्षक/सहायक उप-निरीक्षक के पदों के लिये भर्ती मण्डल द्वारा, शासकीय राज-पद में या ऐसी अन्य सीटि से, जो आयोग/महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस (Commission/Director General-cum-Inspector General of Police) द्वारा उचित समझी जाए, विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये जाएंगे।

विज्ञासि में एक खण्ड यह अन्तर्विट होगा कि कोई अध्यार्थी जो उप स्वास्थ्यावधि के लिये जाने वाले पद पर कार्य करना स्वीकार करता है, को परीक्षीका अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित दर पर मासिक स्थिर मानदेय दिया जाएगा एवं विज्ञासि में अन्यत्र दर्शायी गई पद की वेतन शृंखला केवल उसी दिनांक से अनुज्ञेय की जाएगी जबकि वह कथित नियमों में वर्णित परीक्षीका अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है।]

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(ए) सरकार की अनुमति के साथ, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस अनुसूची-I के विभाग² [अनुभाग I, II, IV और VI] के उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर्स के पद, जो कि किसी खास भर्ती की अवधि में भरे जाने हैं, की 10 प्रतिशत रिक्तियों को इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखे बगैर सीधी भर्ती के तरीकों से पर सकता है, और इस प्रकार नियुक्त किये गये आशार्थी इन नियमों में विहित आयु, शैक्षणिक योग्यताएं, शारीरिक क्षमता, चिकित्सीकीय उपयुक्तता और चरित्र की सुदृढ़ता सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और अदिल भारती वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिये मान्यता प्राप्त खेलकूद में विशेष दक्षता के लिये वर्षीयता दी जाएगी। स्पष्टीकरण :

नियम 17 (2) के परन्तु (ए) में 'दक्षता (Proficiency)' शब्द का अर्थ होगा— सम्बन्धित खेलों और कूदों (Games & Sports) में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व (Representation) या श्रेष्ठता (उत्कृष्टता Distinction) प्राप्त करना।

(धी) नियम 17 (2) के परन्तु (ए) के अधीन, उप-निरीक्षकों/प्लाटून कमांडरों के पद पर नियुक्त के लिये आशार्थियों का चयन एक मण्डल (Board) द्वारा किया जाएगा, जिसमें महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस या महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामित महानिरीक्षक पुलिस, अध्यक्ष, दो उपमहानिरीक्षक, पुलिस, सदस्य और एक पुलिस-अधीक्षक या उसके समकक्ष स्तर का एक अधिकारी, सदस्य सचिव होगा।

(सी) मण्डल, इस प्रकार विज्ञापित पदों पर आशार्थियों का चयन करते समय, यदि उनको चयन के एवं अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना, जो विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, प्राप्त होती है, तो ऐसा अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी योग्य व्यक्तियों का चयन कर सकता है।

18. आवेदन का स्वरूप (From of Application) : विभाग² [अनुभाग-I, II, V में उप निरीक्षक के तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के] में प्लाटून कमांडर्स के पद के मामले में प्रार्थना पत्र, आयोग और अन्य पदों के मामले में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा अनुमानित प्ररूप में होगा और आयोग के सचिव या नियुक्त प्राधिकारी से, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी फौस, जो आयोग/महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, का संदाय कर, प्राप्त किया जाएगा।

19. परीक्षा या आवेदन शुल्क (Fee) : (1) एक आशार्थी, सेवा में सीधी भर्ती के किसी पद हेतु आयोग या महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, यथाविधि, द्वारा निर्धारित परीक्षा या आवेदन शुल्क ऐसी रीति से संदाय करेगा, जो उसके द्वारा विशिष्ट (Prescribed) की जाए।

1. अधिसूचना सं. 7(2) डीओपीए-II/2005, जी.एस.आर. 81 दिनांक 20 जनवरी, 2006 (राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा) (संशोधन) विषम 2006 द्वारा जोड़ा गया एवं सुन्नत प्रधान से प्रवृत्त हुआ।
2. अधिसूचना सं. एफ. 2 डीओपीए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 17 के खण्ड (2) के परन्तु (ए) तथा नियम 18 में उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित किये गये।

1[(2) परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई वलोम (स्वत्व) स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिये सुरक्षित रखा जाएगा, सिवाय जब अर्थना भेजने वाले प्राधिकारी द्वारा अर्थना (Requisition) को वापिस ले लिया गया हो या किसी अन्य कारण से आयोग द्वारा विज्ञापन को रद्द कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आयोग द्वारा अध्यार्थी को पत्र जारी करने की दिनांक से एक माह की समयावधि के पश्चात् शुल्क लौटाने का कोई वलोम ग्रहण नहीं किया जाएगा।]

20. परीक्षा में प्रवेश : (1) आवेदन पत्र, जो अपूर्ण पाये जावेंगे और आयोग/भर्ती मण्डल के निर्देशों के अनुरूप भरे हुए नहीं होंगे, वे उनके द्वारा प्रारंभिक स्तर (Initial Stage) पर ही रद्द कर दिये जाएंगे। आयोग/भर्ती मण्डल वर्ते हुए उन आशार्थियों को, जिन्हें वे प्रवेश का प्रमाण पत्र (Certificate of Admission) देना उचित समझते हैं, परीक्षा में अस्थाई रूप से (Provisionally) सम्मिलित होने हेतु अनुज्ञा देंगे। कोई भी आशार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आयोग/भर्ती मण्डल द्वारा अनुज्ञेय उस परीक्षा में प्रविष्ट होने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। परीक्षा में प्रविष्ट होने के पूर्व, आशार्थी को स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मौकों की संख्या, यदि कोई हो, इत्यादि के बारे में नियमों में दी गई शर्तें पूरी करता हैं/करती हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने की अभिसीकृति, आशार्थी को उसकी निर्वाहा योग्यता (Eligibility) या अनुमान (Presumption) लगाने हेतु अधिकृत नहीं करेगी। आयोग/भर्ती मण्डल वाद में केवल उन आशार्थियों, जो लिखित परीक्षा उचित कर चुके हैं, के आवेदन पत्रों की जांच करेगा और केवल निर्वाहा योग्यताधारी आशार्थियों को ही साक्षात्कार, यदि कोई हो, के लिये बुलायेगा।

(2) किसी आशार्थी को परीक्षा में प्रवेश देने, उसकी निर्वाहा-योग्यता और उसके फलस्वरूप साक्षात्कार, गढ़ काई हो, में प्रवेश के बारे में आयोग/भर्ती मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

21. प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी : (1) विभाग² [अनुभाग-I, II, V में उप निरीक्षक के तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के] की सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-II में दी गई प्रक्रिया से आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी और विभाग (खण्ड) III में निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों के पदों हेतु महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा गठित नियन्त्रित भर्ती मण्डलों द्वारा आयोजित की जाएगी—

(ए) निरीक्षकों के पद हेतु :

- | | | |
|-------|--|---------|
| (I) | महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस या उसका प्रतिनिधि, | अध्यक्ष |
| | जो महानिरीक्षक पुलिस स्तर (Rank) से कम नहीं होगा | |
| (II) | एक उप-महानिरीक्षक पुलिस | सदस्य |
| (III) | निदेशक, पुलिस दूर संचार | सदस्य |
| (IV) | एक तकनीकी विशेषज्ञ (Technical Expert), जो प्रथम वर्ग अधिकार के स्तर (Status) से नीचे नहीं होगा | सदस्य |

(धी) उप-निरीक्षकों के पद हेतु :

- | | | |
|-------|--------------------------|---------|
| (I) | महानिरीक्षक, पुलिस | अध्यक्ष |
| (II) | एक उप-महानिरीक्षक, पुलिस | सदस्य |
| (III) | निदेशक, पुलिस दूर संचार | सदस्य |
| (IV) | एक तकनीकी विशेष | सदस्य |

(सी) सहायक उप-निरीक्षक के पद हेतु :

- | | | |
|------|-------------------------|---------|
| (I) | उप-महानिरीक्षक, पुलिस | अध्यक्ष |
| (II) | निदेशक, पुलिस दूर संचार | सदस्य |

दिनांक 8.4.93 की विज्ञप्ति द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिसूचना सं. एफ. 2 डीओपीए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 21 के खण्ड (1) में उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित।

- (III) एक तकनीकी विशेषज्ञ
(IV) एक पुलिस अधीक्षक

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब निदेशक, दूरसंचार का पद, उप-महानीरीक्षक, पुलिस द्वारा धारित किया जा रहा हो, तो वह मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा।

¹ [(2) उप-नियम (1) में वर्णित भर्ती मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता परीक्षण (Physical Efficiency Test) का पाठ्यक्रम महानिदेशक पुलिस द्वारा समय-समय पर विहित किये गये अनुसार होगा।]

(3) आशार्थी, जो प्रत्येक प्रश्न-पत्र (पेपर) में 36 प्रतिशत और समग्र रूप से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकेंगे, आयोग या भर्ती मण्डल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आयोजित की जाने वाली योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना माने जायेंगे। आयोग द्वारा ² [भर्ती बोर्ड को, लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक पर आधारित योग्यता के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 20 गुना तक ऐसे सफल अध्यर्थियों] की सूची उप-नियम (6)(ए) में विनिर्दिष्ट मण्डल को भेजी जाएगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आशार्थियों को प्रश्न पत्र (पेपर) में और समग्र रूप से 5 अंक की छूट उपलब्ध होगी।

³ (4) (ए) आयोग या भर्ती मण्डल, यथा स्थिति, ऐसी समयावधि में, जो आयोग या भर्ती मण्डल, यथास्थिति, द्वारा निर्धारित की जाए, का संदाय करने पर किसी आशार्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों की समय-समय पर पुनर्गठन (Re-Totalling) की आज्ञा दे सकता है परन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की पुनर्परीक्षा (Re-Examine) का आज्ञा दे सकता है परन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की पुनर्परीक्षा (Re-Exam) नहीं होगी।

(बी) आयोग या भर्ती मण्डल, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त उप नियम (ए) के प्रावधानों के अनुपालन में ऐसी त्रुटियों (गलतियों, Mistakes) को, जो कि पुनर्गणना में दृष्टिगोचर हो (पाई जाए) सुधारने के लिये कदम उठा सकता है।

(सी) (i) विभाग ² [अनुभाग-I, II, V में उप निरीक्षक के तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के] के मामले में, ऐसे संशोधन (Rectification) के परिणामस्वरूप, यदि आयोग यह पाता है कि आशार्थी चयन के निर्वाच्य योग्य (Eligible) हो जाता है, तो ऐसे तथ्य तुरन्त ही ओर परिणाम घोषित होने के 40 दिनों से अधिक नहीं, भर्ती मण्डल को सूचित किया जाएगा और इतने के लिए संशोधित होगा (Shall Stand Protanto Modified)।

(ii) विभाग (खण्ड) III निरीक्षक/उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक के मामले में यदि भर्ती मण्डल यह पाता है कि आशार्थी चयन के योग्य हो जाता है, तो भर्ती मण्डल द्वारा घोषित परिणाम इतने कि लिए संशोधित होगा।

(5) सभी आशार्थी जो नियम 21 (3) के अन्तर्गत सफल घोषित किये गये हैं, से शारीरिक निर्वाच्य योग्य परीक्षण (Physical Efficiency Test) के लिये विभिन्न जिलों या जिलों के समूह, जैसा कि विज्ञापित किया जाए, के लिये शारीरिक निर्वाच्य बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस या उसका प्रतिनिधि, जो महानिरीक्षक पुलिस के स्तर से नीचे का नहीं होगा, एक उप-महानिरीक्षक पुलिस, एक पुलिस अधीक्षक/कमांडर, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामित (Nominated) किया जायेगा, सम्मिलित होंगे। आशार्थी की उपयुक्तता (Suitability) जाँचने के लिये महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

- अधिसूचना सं. एफ. 2(1) डॉ.ओ.पी./2003, जी.एस.आर. 106, जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 (८) उपरोक्त (I) में दिनांक 4.3.2011 को प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।
- अधिसूचना सं. एफ. 2(2) डॉ.ओ.पी./ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 21 के खण्ड (3) व (4) सी में उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित।
- विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(5) कार्यालय/ए-II/81, दिनांक 20.01.1993 से संशोधित।

सदस्य
सदस्य

पुलिस द्वारा निर्धारित शारीरिक दक्षता (भक्षण) परीक्षण (जाँच) कठोर (Vigorous) होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण (टेस्ट) 100 अंकों का होगा जो आशार्थी उसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा, वो चयन योग्य होगा।

(6) आशार्थी, जो उप-नियम (3) के अन्तर्गत लिखित परीक्षण (टेस्ट) और उपनियम (5) के तहत शारीरिक क्षमता में सफल घोषित हुए हैं, पात्रता (Aptitude) परीक्षण (टेस्ट) और साक्षात्कार के लिये योग्य होंगे:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पात्रता परीक्षण (टेस्ट) और साक्षात्कार हेतु बुलाये गये आशार्थियों की संख्या, लिखित और शारीरिक क्षमता (दक्षता) जाँच, दोनों में समग्र रूप से प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या से तीन गुणा तक सीमित होगी, सिवाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आशार्थियों के, जो विहित सीमा (Prescribed Limit) से अधिक भी साक्षात्कार के पात्र होंगे, यदि उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता जाँच उत्तीर्ण कर ली है।

(6) (ए) शारीरिक दक्षता जाँच उत्तीर्ण करने वाले आशार्थियों का पात्रता परीक्षण (टेस्ट) (जाँच) और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। विभाग ¹ [अनुभाग-I, II, V में उप निरीक्षक के तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के] के लिये भर्ती मण्डल द्वारा ऐसा किया जाएगा, जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे:—

- आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित आयोग का सदस्य
- आयोग द्वारा महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस की सलाह से नामित पुलिस विभाग का एक अधिकारी, जो महानिरीक्षक पुलिस से नीचे के स्तर का नहीं होगा
- आयोग द्वारा महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस की सलाह से नामित पुलिस विभाग का एक अधिकारी, जो उप-महानिरीक्षक पुलिस से नीचे के स्तर का नहीं होगा।
- आयोग द्वारा नामित एक १. नोविज्ञानी (Psychologist)

भर्ती मण्डल, प्रत्येक आशार्थी को पद की पात्रता, उपयुक्तता, (Suitability) के बारे में उसके व्यक्तित्व (Personality), संभाषण (Address), चारुर्य (Tact), व्यवहार (Behaviour), विशिष्ट प्रशिक्षण (Specialised Training), पद के लिये पात्रता (Aptitude for the post), निर्णय शक्ति (Judgement), नेतृत्व (Leadership) और राजस्थान संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, अंक देगा। इस प्रकार दिये हुए अंक प्रत्येक आशार्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये हुए अंकों में जोड़े जाएंगे। आशार्थी जो अपराध विज्ञान (Criminology) में उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा या एन.सी.सी. का -सी- सर्टिफिकेट धारक है या जिन्होंने स्नातक परीक्षा में पुलिस प्रशासन (Police Administration) विषय लिया है, उन्हें तरजीह (Weight) दी जाएगी।

(6) (बी) विभाग (खण्ड) III में निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों/सहायक उप-निरीक्षकों के मामले में भर्ती मण्डल इसके पश्चात् साक्षात्कार लेगा और प्रत्येक आशार्थी को, पद के लिये अनुकूलता (पात्रता) के बारे में उसके व्यक्तित्व, संभाषण, चारुर्य, व्यवहार, विशिष्ट प्रशिक्षण, पद के लिये पात्रता, निर्णय शक्ति, नेतृत्व और राजस्थान संस्कृति के ज्ञान, को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 50 अंकों में से अंक देगा। इस प्रकार दिये हुए अंक, भर्ती मण्डल द्वारा, प्रत्येक आशार्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये अंकों में जोड़ दिये जाएंगे।

22. इन्टेलीजेन्स (गुप्तचर) शाखा में सहायक उप-निरीक्षक के पद की सीधी भर्ती के लिए विशिष्ट प्रावधान : यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह संतुष्टि (समाधान) हो जाती (हो जाता) है कि इन्टेलीजेन्स शाखा में, किसी विशेष वर्ष में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्ति हेतु वार्षित संख्या में आशार्थी नहीं मिल

- जीविसूचना सं. एफ. 2(2) डॉ.ओ.पी./ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 21 के खण्ड (6 ए) में उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित।

रहे (अनुपलब्ध) हैं, तो इन्टेलीजेंस शाखा में सहायक उप- नियंत्रक के पद, निर्धारित अनुपात को शियल करते हुए सौधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। सौधी भर्ती के लिये प्रक्रिया निम्न प्रकार दोगो—

(1) विभाग (खण्ड) । मैं इन्टेलीजेन्स शाखा में सहायक उप-निरीक्षकों के पदों पर सौधी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा एक भर्ती मण्डल द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें होंगे—

- | | | |
|------|---|---------|
| (ए) | महानिरीक्षक पुलिस गुप्तचर (I. G. P. Intelligence) | अध्यक्ष |
| (बी) | उप-महानिरीक्षक पुलिस गुप्तचर | सदस्य |
| (सी) | एक पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा/गुप्तचर शाखा के अलावा, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामित किया जाएगा— | सदस्य |

(2) रूप-नियम (1) में संदर्भित भर्ती मण्डल द्वारा लो जाने वाली परीक्षा और शारीरिक दबता (क्षमता) जांच का पाठ्यक्रम (Syllabus), समय-समय पर महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगा।

(3) आशाधी, जो प्रत्येक विषय में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और समग्र रूप से 40 प्रतिशत अंक लिखित जाच में प्राप्त कर सकेंगे, भर्ती मण्डल द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्णीक प्राप्त करने वाले समझे जाएंगे।

(4) (ए) भर्ती मण्डल, किसी आशार्थी द्वारा एक विषय में प्राप्त किये गये अंकों को छानबदी (Scrutiny), पुनर्जाँच (Rechecking), पुनरगणना (Re-totalling) के लिये परिणाम घोषित होने के बीच दिन के भीतर 20/- रुपये की फीस का संदाय करने पर, आदेश कर सकता है।

(बी) भर्ती मण्डल, अंको को छानबीन, पुनर्जीवन और पुनर्गणना पर पाई गई ऐसे त्रुटियों (गलतियों) को, उपरोक्त खण्ड (Clause) (ए) के प्रावधानों की अनुपालना में, ठीक करने (To Rectify) हेतु कदम उठा सकता है।

(सी) यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप, भर्ती मण्डल यह पता लगाता है कि आशार्थी चयन के लिये निर्वच्य योग्य (Eligible) हो जाता है, तो भर्ती मण्डल द्वारा घोषित परिणाम इतने के लिये संशोधित हो जाएगा।

(5) सभी आशार्थी, जो लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और समग्र रूप से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकते हैं, को शारीरिक दक्षता (क्षमता) मण्डल के समक्ष विभिन्न जिलों के लिये या जिलों के समूह के लिये जैसा कि अधिसूचित किया जाए, शारीरिक दक्षता (क्षमता) परीक्षण (टेस्ट) हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक पुलिस या उसका प्रतिनिधि, जो महानिरीक्षक से नीचे के स्तर (रेन्क) का नहीं होगा, एक उप-महानिरीक्षक पुलिस: महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामित एक पुलिस अधीक्षक/कमाइडेण्ट सदस्य होंगे। शारीरिक दक्षता (क्षमता) टेस्ट 100 अंकों का होगा और जो आशार्थी शारीरिक दक्षता (क्षमता) परीक्षण (टेस्ट) में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, भर्ती मण्डल द्वारा अंतिम चयन के लिये पात्र होंगे।

(6) भर्ती मण्डल, प्रत्येक अशार्थी का इसके पश्चात् साक्षात्कार लेगा और पद की उपयुक्तता (पात्रता) के बारे में उसके व्यक्तित्व, संभाषण, चातुर्य, व्यवहार, चिशिष्ट प्रशिक्षण, पद के लिये पात्रता, निर्णय शक्ति, नेतृत्व और राजस्थान संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 100 अंकों में से अंक देगा। इस प्रकार दिये गये अंक भर्ती मण्डल द्वारा, प्रत्येक अशार्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जाएंगे।

23. मण्डल/आयोग की अनुशंसार्ये

मण्डल/आयोग, जिन आशार्थीयों को सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के योग्य समझता है, की एक सूची तैयार करेगा, जो योग्यता क्रम से व्यवस्थित की जायेगी और उसे महानिदेशक एवं महानीरीक्षक पुलिस को अप्रेषित करेगा, जो उसके स्तर पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को, सूची में उल्लेखित आशार्थीयों के नाम उनकी योग्यता क्रम में, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक, सूचित करेगा। मण्डल/आयोग, उन आशार्थीयों के नाम जिन्होंने साधात्कार में 36 प्रतिशत से कम अंक एवं समाप्त रूप से 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं, अनुशासित नहीं करेगा:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भर्ती मण्डल/आयोग [महिला आर्थिकीयों]¹ [पिछड़े वर्गों, विशिष्ट वर्गों एवं अन्यार्थिक रूप से पिछड़े वर्गों]², अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उन आशार्थियों की अनुशंशा कर सकता है, जो यद्यपि न्यूनतम अंक प्राप्त करने में सफल रहे हैं, किन्तु प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने पर पूर्ण ध्यान देते हुए, मण्डल ने सेवा में नियुक्ति देने हेतु सुधार्य घोषित किये हैं, यदि ऐसे आशार्थी साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अंक तथा समग्र रूप से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकते हैं।

[23 क. कांस्टेबल के पद पर भर्ती—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी चार के होते हुए भी, कांस्टेबल के पद पर चयन के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा और कांस्टेबल के पद पर चयन निम्नलिखित बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दित परीक्षा स्कीम और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

स्पष्टीकरण : पुलिस महानिदेशक-एवं-महानिरीक्षक कार्यस्थल के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजन देत पक्के से अधिक बोर्ड गतिहासिक विभागों का उपयोग कर सकेगा।

34. जिम्मेवाले के लिये अद्योतनगता (अनहंता)

(1) कोई पुरुष आशार्थी, जो एक से अधिक जीवित पत्नी रखता है, सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य (पात्र) नहीं होगा, जब तक कि सरकार इस बात से कि ऐसा करने के विशेष आधार () हैं, सन्तुष्टि के पश्चात् इस नियम की क्रियान्विति से किसी आशार्थी को मुक्त न कर दे ।

(2) कोई भी महिला आशार्थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी किये हुए हैं, जो पहले से ही जीवित पत्नी रखता है, सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य (पात्र) नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात से कि ऐसा करने के विशेष आधार है, सन्तुष्टि के पश्चात् इस नियम की क्रियान्वित से किसी आशार्थी को मुक्त नहीं कर देवे।

(3) कोई भी विचाहित आशार्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यदि उसने उसके विवाह के समय कोई दोष स्वीकार किया था।

[(4) ऐसा कोई भी अध्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अधिकारी का नियुक्ति के लिए तब तक लाइसेंस नहीं सभीजा जायेगा, जब तक कि 1 जनवरी 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अध्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी पश्चात्वार्थ प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।⁴

- विवरण दियोग 91.08.97 से जीवा गय।
दायरी संख्या एक 7(5) दो.ओ.पी.-II/2008 जी१एस.आर. 32 अगस्त 28, 2009 द्वारा ग्रन प्रिक्टर कार्पोरेशन के स्थान पर प्राइवेटलिमिटेड जी१एस.प्रूफ हुआ।
विवरण अन्त प्रिक्टर कार्पोरेशन 24.5.04 से जी१एस.आर. 32 अगस्त 28, 2009 द्वारा ग्रन प्रिक्टर कार्पोरेशन सं. एक ७(१) ओ.पी.पी.-II/2003 दियोग 22.3.2011 जो राजस्थान उचित विवेचक भाग 4 (ग) (१) दियोग 4 मर्च, 2011 को लागू हुआ दियोग 23.३. अन्त: विवरण।

विज्ञप्ति संख्या एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-(ii)/95 जी.एस.आर. 55, अक्टूबर 29, 2005 द्वारा नियम 24 में उप-नियम(4) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है-

“[कोई अध्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जिसके 01-06-2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हैं;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यर्थी जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, को नियुक्ति के लिये अनहं नहीं समझा जायेगा जब तक कि 1 जून, 2002 को उसके बच्चों की संख्या में बढ़ि नहीं होती है;

परन्तु आगे प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अध्यर्थी के पूर्व-प्रसव से केवल एक बच्चा है परन्तु पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार उसके कुल बच्चों की संख्या की गणना करते समय एक इकाई (One Entity) समझा जायेगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपनियम के प्रावधान किसी ऐसी विधवा महिला की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे राजस्थान के मृतक राज्य कर्मचारियों के आप्रितों को अनुक्रमात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।”]

*परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अध्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।]

स्पष्टीकरण-इस नियम के उद्देश्य दर्ज (Dowry) का बही अर्थ होगा जो दहज विरोध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में है।

25. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन-³[नियुक्ति प्राधिकारी] नियम (7 एवं 7बी)² के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, उन आशार्थियों का चयन और उन्हें नियुक्त करना जो नियम 17-23³ [क] के अधीन प्राधिकारी/भर्ता मण्डल/आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है(Highest in Order Merit);

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी आशार्थी का नाम सूची में सम्पालित होने से, नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा उप-निरीक्षक के मामले में चिकित्सा विभाग से और निम्न संवर्गों के लिये राजकोय चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के बाद गठित किये गये चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) से चिकित्सकीय जांच (Medical Test) के बाद और ऐसी अन्य जांच (Other Enquiry) जो कि आवश्यक समझी जाए, से संतुष्ट नहीं हो जाये कि आशार्थी सम्बन्धित पद पर नियुक्त हेतु अन्य सभी प्रकार (In all Other Respects) से उपयुक्त (योग्य) है।

³[xxx]विलोपित

स्पष्टीकरण- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, कांस्टेबलों के पद पर आशार्थियों के चयन के उद्देश्य से एक से अधिक मण्डल भी गठित कर सकता है।

1. राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2005 द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हुई, जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4(ग)(1) दिनांक 08-11-2005 के पृष्ठ 91 (5) पर प्रकाशित हुई।

2. 7 एवं विज्ञप्ति दिनांक 24-05-1994 से जोड़ी गयी जो 28-09-1993 में प्रभावी है। जब विज्ञप्ति दिनांक 22-01-1997 से जोड़ी गयी।

3. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)डी.ओ.पी./ए-II/2003 दिनांक 22-03-2011 और राजस्थान राजपत्र नियोगीक भाग 4(ग)(1) दिनांक 4 जून, 2011 जो प्रकाशित द्वारा नियम 25 के तुलना में 7 के उपर्योग के अधीन से पूर्व आयो शब्द (1) को विलोपित किया गया एवं दूसरी ताइन में आयो शब्द 17-23 के स्थान पर 17-23 का प्रतिस्थापित तथा नियम 25 का उपर्योग (2) को विलोपित किया गया-विलोपन से पूर्व निम्न उपकार था-

2. कांस्टेबल (सिपाही) के पद पर भर्ती नियम मण्डल (बोर्ड) द्वारा की जायेगी-

(ए) उप-निरीक्षक पुलिस रेज-मन्यविभाग जिला (यूनिट) में सम्मान स्तर (Equivalent Rank)

(बी) साम्बन्धित जिला/शाखा (यूनिट) का पुलिस अधीकार कमांडर

(सी) महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामित पुलिस अधीकार कमांडर के गठ का एक अधिकारी

4. राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2015 जो दिनांक 01-04-2015 से प्रभावी अधिसूचना संख्या एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-II/95 पार्ट-III जो राजस्थान राजपत्र विभेदक भाग 4(ग) में दिनांक 20-11-2015 को प्रकाशित द्वारा नियम 24 के उप-नियम (iv) के अनुसार तुरन्त के प्रभाव सम्म प्रवृत्त होगा।

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

26. पदोन्नति के लिये पात्रता : 1. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समय-समय पर वर्णित विशेष/तकनीकी पदों के मामले के सिवाय (को छोड़कर), अनुसूची-I के विभिन्न¹ [अनुभाग-I, II, IV, V और VI] के स्तरम् (कालम) 5 में वर्णित व्यक्ति, जो स्थाई श्रेणी (Substantive Rank) के हों, कांस्टेबलों (सिपाहियों) के मामले में जिला/शाखा (यूनिट) बटालियन स्तर पर; हैड-कांस्टेबलों/साहायक उप-निरीक्षकों के मामलों में रेज स्तर पर और उप-निरीक्षकों/प्लाटून कमांडरों के मामले में राज्य स्तर पर अनुसूची-I के कालम (स्तरम्) 2 में वर्णित पदों के लिये पदोन्नति के पात्र होंगे, बताते कि वे अनुसूची-I के स्तरम् (कालम) 6 में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखते हों :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के प्रयोजनार्थ, मेवाड़ भील कौर के मामले में पदोन्नति, कांस्टेबलों से हैड कांस्टेबलों और हैड-कांस्टेबलों से उप-निरीक्षकों के स्तर (रेक) पर यूनिट बैसिस (आधार) पर की जाएगी, जो कि यूनिट/रेक भागी (समझी) जाएगी और राजस्थान सशस्त्र पुलिस (आर.ए.सी.) में हैड कांस्टेबल के स्तर से प्लाटून कमांडरों के लिये पदोन्नतियाँ रेज बैसिस (आधार) पर होंगी और “रेज” का अर्थ होगा राज्य-आधार (State-basis)।

(i) ऐसे मामले में, जहाँ किसी विशेष वर्ष में पद पर सीधी भर्ती, पदोन्नति से नियमित चयन के पूर्व की गई, ऐसे व्यक्ति, जो उस पद पर भर्ती की दोनों पद्धतियों से नियुक्त हेतु पात्र है या थे और पहले सीधी भर्ती से नियुक्त हो चुके हैं, भी पदोन्नति के लिये विचारणीय होंगे।

1. अधिसूचना सं. एफ.2 (2) डीओपी/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 26 के खण्ड(1) में प्रतिस्थापित।

* विज्ञप्ति संख्या एफ. 11(I) डी.ओ.पी.ए.पु.प-2/89, जी.एस.आर. 31-18, पर्द 28, 1999 द्वारा निम्न विज्ञप्ति के स्थान पर उप-नियम

(2) में पुरानी स्थिति ही यथावत रख दी गयी है, जो दिनांक 22.7.1998 द्वारा प्रभावी की गई है एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन), नियम, 1999, जो राजस्थान राज पत्र असाधारण भाग 4 (ग)(1), दिनांक 1.6.1999 के पृष्ठ 43 (4) पर प्रकाशित हुये हैं।

भृपुरुषना क्रमांक एफ. 11(I) डी.ओ.पी./ए-II/89 (44) दिनांक 22.7.1998—

* भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा नामितों का प्रयोग करते हुये राजस्थान के राजपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन), नियम, 1989 में और संशोधन करते के लिए, इसके द्वारा, इन्विलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 25 में संशोधन—राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 25 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान के इन्विलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

2. कांस्टेबल के पद पर स्वयं एक समिति द्वारा किया जायेगा, विसर्जन इन्विलिखित होंगे, अर्थात्—

1. विभागाध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि (जो क्षेत्रीयस्तर का अधिकारी है)

2. जिला कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि

3. साम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी समिति वरियत क्रम में ऐसे अध्यार्थियों की सूची तैयार करेगी जिन्हें वह सम्बन्धित पद (पदों) पर नियुक्त के लिए उपयुक्त मानते हुए उपर्योगी अधिकारी को अप्रैवित करेगी।

परन्तु यह है कि समिति विज्ञप्ति रिपोर्टों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त अध्यार्थियों के नाम आरक्षित सूची में रखेगी। अध्ययेका करने पर ऐसे अध्यार्थियों के नामों की सिफारिश समिति द्वारा मूल सूची अग्रिमत किये जाने की तारीख से छः घास के भीतर विवरत क्रम में नियुक्त प्राधिकारी को भी जायेगा।

स्पष्टीकरण—“जिला स्तरीय अधिकारी” से जिला कलेक्टर से सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित अधिकारी अधिकृत है, और “क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी” से सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित अधिकारी अधिकृत है।

* विज्ञप्ति संख्या एफ 7 (1) कार्पिक/ए-II/96 जी.एस.आर. 61, दिनांक अक्टूबर 10, 2002 से प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 (ग)(1) दिनांक 16.10.2002 से पृष्ठ 109 (8) पर प्रकाशित एवं तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त।

(ii) उपरोक्त उप नियम (i) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट विशिष्ट (Specilised) तकनीकी (Technical) पदों के मामले में जिला/इकाई (Unit)/बटालियन/रेज/राज्य आधार पर संस्थाई रेक धारक (Holding) और अनुसूची I के [अनुभाग-I, II, IV, V और VI] में वर्णित व्यक्तियों की पदोन्नति की पात्रता, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(iii) अनुसूची I के खण्ड III के स्तम्भ 5 वर्णित संस्थाई रेक धारक व्यक्ति, अनुसूची I के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम योग्यताएं एवं अनुभव के अध्ययन रहते हुए पुलिस संचार निदेशालय (Police-Telecommunications Directorate) के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर राज्य आधार पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

(iv) पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हता परीक्षा (Qualifying Examination) होने वाले वर्ष की प्रथम अप्रैल को अनुसूची I के स्तम्भ 6 में दी गई अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेनी चाहिये।

स्पष्टीकरण: “राज्य आधार (State-basis)” का इस नियम में अर्थ होगा बरिष्ठता के क्रम में समस्त राज्य में किसी विशेष (खास) श्रेणी (Category) के सभी सदस्य विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन ऐसे कर्मचारियों की समिलित बरिष्ठता (Combined Seniority) ऐसे सिद्धान्तों और आधार पर, जैसा कि सरकार द्वारा कार्यक्रम विभाग से सलाह मशविर के साथ तय किये जा सके, विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि रिक्तियों का विनिश्चय (निर्धारण) करने के बाद, परीक्षा के भाग-I में ग्राहित होने के लिए सेवा के उपयुक्त सदस्यों में से रिक्तियों की संख्या से [10] गुण से अधिक नहीं, बरिष्ठतम आशार्थियों के प्रार्थना-पत्र, ग्राहा (स्वीकार) (Entertained) किये जायेंगे।

[परन्तु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निर्हित नहीं है तो उसे निर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी सन्तान का जन्म हो।]

27. चयन की प्रक्रिया : (1) नियम 20 के अधीन पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण (विनिश्चय) करने के बाद, नीचे उप-नियम (3) में संदर्भित मण्डल गठित किया जाएगा। मण्डल, उन बरिष्ठतम पात्र सेवा के सदस्यों, जिन्होंने नियम 29 में विनिर्दिष्ट योग्यता परीक्षा का भाग-I, परेंड, प्रेक्षिकल और अन्य बाहरी परीक्षा (Outdoor Test) में 40 प्रतिशत अंक, समग्र रूप से 45 प्रतिशत अंक, सम्बन्धित पद वर्ग (Class of Post Concerned) की पदोन्नति के लिये, उत्तीर्ण कर लिया है, के नाम दर्शाते हुए उनकी उपरोक्त गठित मण्डल, सूची में समिलित उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर साक्षात्कार लेने के बाद विचार करेगा और बरिष्ठता क्रम में योग्य आशार्थियों, जिन्होंने भाग-II की योग्यता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक और भाग I एवं II की योग्यता परीक्षा के कुल अंकों का समग्र रूप से 50 प्रतिशत प्राप्त किया है, के नाम दर्शाते हुए उनकी एक सूची तैयार करेगा, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समय-समय पर विनिर्दित और नियम 10 के अधीन भरे जाने हेतु विनिश्चित किये गये ऐसे पदों की संख्या के [बराबर] तक होगी।

आशार्थियों की पदोन्नति के लिये साक्षात्कार लेते हुए, निम्न तथ्यों (Factors) बातों का ध्यान रखा जाना होगा:

- (1) उन्होंने भाग-I योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;
- (2) उनकी सेवा का पिछला अभिलेख (अच्छी और बुरी प्रविष्टियाँ);
- (3) सत्यशीलता, न्यायनिष्ठा (Integrity);

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 26 के खण्ड (ii) में शब्द उपरोक्त प्रतिस्थापित।
2. विभिन्न संलग्न एफ-2 (I) डी.ओ.पी./ए-II/2003 जी.एस.आर. 48 वितानबर 28, 2005 द्वारा [6] के स्थान पर उक्त शब्द प्रतिस्थापित जो तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त हुई।
3. राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2015 जो दिनांक 01-04-2015 से प्रभावी अधिसूचना संलग्न एफ.7(1) डीओपी/ए-II/95 घाटे-III जो राजस्थान राजपत्र विशेषक भाग (ग) में दिनांक 20-11-2015 को प्रकाशित द्वारा नियम 26 के उप-नियम (iv) के अन्तिम पर्याक के पश्चात नया पर्याक जोड़ा गया।

- (4) बुद्धिमानी, चातुर्य और शक्ति (Intelligence, Tact & Energy);
 - (5) तकनीकी एवं सामान्य ज्ञान (Technical and general knowledge);
 - (6) अनुभव और निपुणता (Experience & Efficiency);
 - (7) व्यक्तित्व एवं चरित्र (Personality & Character);
 - (8) शारीरिक योग्यता और उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता, जिस पर पदोन्नति दी जा रही है, विस्तृत दौरे करने की अभिवृत्ति (Aptitude) सहित; और
 - (9) विधि (कानून Law) और प्रक्रिया (Procedure) का व्यावहारिक ज्ञान (Practical knowledge)
- (3) चयन मण्डलों का गठन (Constitution):
- (ए) हैड कांस्टेबलों के पद पर पदोन्नति हेतु :

- | | |
|--|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> (I) उप-महानिरीक्षक, पुलिस (II) सम्बन्धित जिला/यूनिट का पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट (III) सम्बन्धित रेज के बाहर का एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा। | अध्यक्ष |
| <ol style="list-style-type: none"> (I) उप-महानिरीक्षक, पुलिस (II) सम्बन्धित जिला/यूनिट का पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट (III) रेज के बाहर का एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट, जो महानिदेशक पुलिस द्वारा नामित किया जाएगा। | सदस्य |
| <ol style="list-style-type: none"> (बी) सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु : | सदस्य |

- (I) रेज/यूनिट का उप-महानिरीक्षक
स्तर का एक अधिकारी।
- (II) सम्बन्धित जिला/यूनिट का पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट
- (III) रेज के बाहर का एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट, जो महानिदेशक पुलिस द्वारा नामित किया जाएगा।

- (सी) उप-निरीक्षकों/प्लाटून कमांडरों के पद पर पदोन्नति हेतु:
- (I) महानिरीक्षक, पुलिस,
 - (II) उप-महानिरीक्षक, पुलिस
 - (III) एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट

- (डी) निरीक्षकों/कम्पनी कमांडरों के पद पर पदोन्नति हेतु:
- (I) महानिरीक्षक पुलिस,
 - (II) दो उप-महानिरीक्षक, पुलिस
 - (III) एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट
- (ई) पुलिस दूरसंचार के हैड कांस्टेबलों और सहायक उप निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति हेतु:

- | | |
|--|------------|
| <ol style="list-style-type: none"> (I) उप-महानिरीक्षक, पुलिस (II) निदेशक, पुलिस दूर संचार (III) एक तकनीकी विशेषज्ञ (IV) एक पुलिस अधीक्षक | अध्यक्ष |
| <ol style="list-style-type: none"> (I) उप-महानिरीक्षक, पुलिस (II) निदेशक, पुलिस दूर संचार (III) एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट | सदस्य |
| <ol style="list-style-type: none"> (I) उप-महानिरीक्षक, पुलिस (II) निदेशक, पुलिस दूर संचार (III) एक पुलिस अधीक्षक/कमांडेन्ट | सदस्य सचिव |

1. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन), नियम 2006 द्वारा “डेंड गुण” के स्थान पर प्रतिस्थापित जो राजस्थान उन

तो वह मण्डल का अध्यक्ष होगा।

(एफ) निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों/पर्यवेक्षकों एवं पुलिस दूर संचार के उप-निरीक्षकों के स्तर (रेंक) में पदोन्नति हेतु:

(I)	महानिरीक्षक, पुलिस	अध्यक्ष
(II)	उप-महानिरीक्षक पुलिस	सदस्य
(III)	एक तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
(IV)	निदेशक, पुलिस दूर संचार	सदस्य सचिव

नोट—सभी मण्डलों का गठन महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा किया जायेगा।

(4) इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I में वर्णित निदेशालय पुलिस दूर संचार प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम (Courses Conducted by the directorate of Training for Police-Tele-Communications) की परीक्षायें आयोजित करने के लिये, महा-निदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, निरीक्षकों के पद हेतु परिभाषित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु एक मण्डल (बोर्ड) का गठन करेगा। शेष मण्डल का गठन सम्बन्धित महानिरीक्षक पुलिस द्वारा किया जाएगा।

(5) ऊपर वर्णित उप-नियम (3) के अधीन विभिन्न मण्डलों द्वारा तैयार की गई सूचियों में सम्मिलित किये गये सभी आशाधियों, नियम 28 के अन्तर्गत नामित किये गये आशाधियों सहित, से अपेक्षा की जाएगी कि वे निर्धारित पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम (Prescribed Promotion Cadre Course) को पूरा करें, जिसके लिये आशाधीय वरिष्ठता के अनुसार नामित किये जाएँ।

परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि ऐसे आशाधीय, जो पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम, ऐसे कारणों से, जो उनके नियन्त्रण के बाहर हैं, में उपस्थित होने या पूरा करने में असमर्थ (Unable) रहे हैं, विना किसी वरिष्ठता का नुकसान उठाये अगले पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु अनुबेद्य किये जाएंगे।

स्पष्टीकरण : यदि कोई प्रश्न उठता है कि एक आशाधीय उसके नियन्त्रण से परे कारणों की वजह से पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में नहीं जा सका या इसे पूरा नहीं कर सका, तो इस स्थिति में उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी, जिसके लिये पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, का निर्णय अनित्य होगा।

(6) जिन आशाधियों ने पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, के नाम वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति हेतु अनुमोदित सूची (Approved List) में रखे जाएंगे।

जो आशाधीय प्रथम प्रयत्न (First Attempt) में पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहे हैं, उन्हें पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक मौका और दिया जायेगा और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर उनकी परस्पर वरिष्ठता (Inter-se-Seniority) अखण्ड (Intact) रहेगी।

(7) आशाधीय, जो नामित किये जाने पर पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम पूरा करने/उपस्थित होने में असफल रहते हैं या जो उप-नियम 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में अयोग्य (Unable) हैं, वे दूसरे पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में जाने के लिये ग्राह्य (Eligible) नहीं होंगे, सिवाय नये पदोन्नति मण्डल की सिफारिशों (Recommendations, अनुशंशाओं) के।

(8) इस प्रकार तैयार की गई अनुमोदित सूची तब प्रभावी होगी जबकि पूर्व-अनुमोदित सूची के व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सका हो।

28. पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम के लिये विशेष मनोन्यवन्: ऊपर वर्णित नियम 27 के उप-नियम (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी :

(ए) विभाग I [नियम 4 के अनुभाग-I, III, और V में उप-निरीक्षक तक की तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर तक] किसी विशेष वर्ष में पदोन्नति से भरी जाने वाली रिकियों के 10

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) हाईकोर्ट/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 28 के खण्ड (ए) में उक्त शब्द प्रतिस्थापित।

प्रतिशत तक, अगले उच्च स्तर (Next Higher Rank) के लिए पदोन्नति हेतु नामांकन (Nomination) महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने डाकू विरोधी (Anti-dacoity), तस्करी विरोधी (Anti-smuggling) या पुलिस कार्य के विशेष क्षेत्र, खेलकूद के कार्य कालाप को सम्मिलित करते हुए, में उत्कृष्ट कार्य (Outstanding Work) दर्शाया है और जिन्होंने सेवा के सदस्य योगी हैं तथा अन्य रूप में (Exclusively) 20 वर्षों से कम सेवा नहीं की है और जिनका सेवा अभिलेख ईमानदारी सहित रहा हो, किया जा सकता है:

परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि सेवा का कोई सदस्य, जैसा कि ऊपर वर्णित है, 20 वर्ष की सेवा के कारण, एक बार से अधिक नामित नहीं किया जाएगा।

(बी) एन्यू सरकार, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस की अनुशंशा पर पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम के लिये किसी विशेष वर्ष में पदोन्नति की रिकियों के 10 प्रतिशत तक उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के स्तर से पर्यवेक्षक/निरीक्षक/कम्पनी कमांडर के स्तर में, और उप-निरीक्षक/पर्यवेक्षक से निरीक्षक के लिये सेवा के उन संस्थायी व्यक्तियों में से, जिन्होंने डाकू विरोधी, तस्करी विरोधी या पुलिस कार्य के विशेष क्षेत्र, खेलकूद के कार्यकालाप सहित, में उत्कृष्ट कार्य दर्शाया है या जिन्होंने सेवा के सदस्य, योगी हैं तथा अन्य रूप से 20 वर्षों से कम सेवा नहीं की है और जिनका सेवाभिलेख ईमानदारी सहित अलौकिक रूप से अच्छा और निष्कलंकित है,

परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि सेवा का कोई सदस्य उपरोक्त वर्षित अनुसार 20 वर्ष की सेवा के फलस्वरूप एक बार से अधिक नामित नहीं किया जाएगा।

29. पदोन्नति के लिये योग्यता परीक्षा:

(1) पदोन्नति के लिये योग्यता परीक्षा का तात्पर्य है और सम्मिलित है—

भाग-I लिखित, प्रायोगिक (प्रेक्षिकल), परेड और अन्य बाह्य परीक्षायें (Out-door Tests)

भाग-II साक्षात्कार और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों महित सेवा अभिलेख का परीक्षण।

(2) भाग-I की परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम और भाग-II के सम्बन्ध में सामान्य: निदेश महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा समव-समय पर विनिश्चित एवं जारी किये जाएंगे।

(3) नियम 27 के उप-नियम (3) में वर्णित विभिन्न मण्डल परीक्षा के लिये तिथियाँ और स्थानों का निर्धारण करेंगे। परिणामों को अनित्य रूप दिये जाने के पश्चात उन आशाधियों के नाम, जो पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में जाने के लिये उपयुक्त पाये गये हैं, मण्डल के अध्यक्ष द्वारा घोषित किये जाएंगे और ऐसे आशाधियों के नाम की एक सूची नियुक्त प्राधिकारी को भेजो (अप्रेषित को) की जाएगी।

30. पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम:

(1) विभिन्न स्तरों (Various Ranks) के लिये पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम का आयोजन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा समय-समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण संस्थानों (Training Institutions) पर किया जाएगा।

(2) पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम ऐसी अवधि (Duration) और ऐसे पाठ्यक्रम का होगा, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाय। पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में इन्डोर (भौतिकी) एवं आकटडोर (बाहरी) कार्य पर समुचित जोर (Emphasis) दिया जाएगा।

(3) पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम परीक्षा ऐसे मण्डल, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा इस उद्देश्य से गठित किया जाए द्वारा आयोजित की जाएगी।

31. पदोन्नति:

(1) सेवा में संस्थायी पदोन्नति, अनुमोदित सूची में दिये गये नामों के क्रमानुसार होगी। परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि एक व्यक्ति जिसने पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में जाने हेतु अहंता प्राप्त कर ली है, यदि

कठोर दण्ड में दण्डित किया जाता है, जिसमें उसके स्तर में कमी (Reduction in Rank), सेवा मुक्ति (Dismissal) या सेवा से अलग करना (हटाना, Removal) अन्तर्भित है या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में जाने से पूर्व या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो वह पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो वह पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के अवशेष भाग (Remaining Part) में जाने हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि अधील या पुनरीक्षण (Review) में उसको दिया गया दण्ड वापस नहीं ले लिया जाता है या दण्ड की प्रकृति, पदोन्नति को रोकने के अलावा, साधारण दण्ड (Minor Punishment) में परिवर्तित कर दी जाती है।

(2) इसी प्रकार, यदि ऐसा दण्ड पदोन्नति संवर्ग पाद्यक्रम के पूर्ण होने और अनुमोदित सूची के तैयारी के बाद दिया जाता है, तो पदोन्नति रोक दी जाएगी, जब तक कि वह अपील या पुनरोक्षण, यथाशक्ति में दिये गये नियंत्रण के फलस्वरूप दोपुनक किया जाये या जब तक कि वह इस प्रकार दिया गया दण्ड भुग्ने चाहे।

32. पदोन्नति छोड़ने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर नियंत्रण

एक व्यक्ति मण्डल की सिफारिशों पर अस्थाई/आवश्यक नियुक्ति वा नियमित आधार पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति से नियुक्त होने पर ऐसी नियुक्ति को छोड़ देता है (Foregoes) तो वह दुबारा पदोन्नति से नियुक्ति के लिये केवल एक वर्ष की अवधि के बाद ही विचारणीय होगा (दोनों आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति या मंडल की सिफारिशों पर नियमित रूप से नियुक्ति के आधार पर)।

33. प्रतिवेदनाओं (अभ्यावेदनाओं Representations) और संदर्भों (References) का निस्तारण (निपटारा, Disposal):

(1) यदि किसी समय, योग्यता परीक्षा या अनुमोदित सूची को तैयारी या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम या इसकी परीक्षा या कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या चयन या इन नियमों के तहत ली गई किसी परीक्षा सम्बन्धित एक अध्यावेदन या सन्दर्भ, सेवा के मदस्य द्वारा या किसी मंडल द्वारा या किसी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किया जाता है, तो इस पर महानिरीक्षक पुलिस के आदेश अंतिम होंगे और सामान्यतया इस प्रकार छिपी खिन्न पर, आगे कोई अध्यावेदन या सन्दर्भ राज्य सरकार को नहीं होगा।

(2) सूचना प्राप्त होने पर या जांच के आधार पर यदि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस समुद्र हो जाता है कि किसी मंडल की कार्यवाहियों (Proceedings) इन नियमों या अदेशों के प्रवधानों के अनुरूप हो जाता है कि वे नियमों के अनुरूप जारी किये निर्देशों के अनुमार या व्याधिक (वचित, Just) और स्वच्छ (ठोक Fair) तरीके से, सम्पन्न नहीं की गई है, तो वह ऐसे मंडल को कार्यवाहियों को निरस्त (Set-aside) कर सकता है और उस उद्देश्य के लिये नया मंडल गठित कर सकता है।

भाग-VI

नियुक्ति, परिवीक्षा एवं स्थायीकरण (Appointment, Probation & Confirmation)

34. सेवा में नियुक्तः

सेवा में पदों पर नियुक्ति अनुमत्यों-I के स्तरम् (कालम) 3 में जैसा व्यक्त है, उन नियमों के अनुसार (अनुसरण), (In accordance) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा सीधी भर्ती या पदोन्तति से की जाएगी।

35. आवश्यक अस्थायी नियुक्तिः

(1) सेवा में कोई रिक्ति, जो इन नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती या पदोन्नति से तत्काल नहीं भर्ती जा सकती है, तो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों (Guidelines)

नियुक्ति देकर या सेवा में इन नियमों के प्रावधानों के तहत सौधी भर्ती के लिये पार व्यक्ति को उस पर अस्थाई (Temporarily) रूप से नियुक्ति कर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकती है:

परन्तु प्रतिवन्य यह है कि ऐसी नियुक्ति, बिना मामले को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस या आयोग जैसी भी स्थिति हो, को सहमति (Concurrence) के लिये प्रेषित किये, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये चाल नहीं रखी जायेगी, और उनके द्वारा सहमति देने से इन्कार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी:

परन्तु आगे प्रतिबन्ध यह है कि सेवा के उस पद के सम्बन्ध में, जिसके लिये भर्ती के दोनों तरीके विहित किये हुए हैं, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती के अध्याश (Quota) के विरुद्ध होने वाली रिक्ति में, तीन माह से अधिक समय के लिये राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग (Administrative Department) की विशेष अनुज्ञा को छोड़ कर, पूर्णकालिक (Whole time) नियुक्ति नहीं करेगा, सिवाय अल्प अवधि विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती के लिये पारा व्यक्तियों में से।

(2) पदोनन्ति की पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, सरकार, उपरोक्त उपनियम (1) में पदोनन्ति के लिये पात्रता की शर्तों के होते हुए भी, आवश्यक अस्थाई आधार पर रिक्तियों को भरने के लिये, बेतन एवं भर्ती के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों (Conditions & Restrictions) के अधीन, जैसा कि यह निर्दिष्ट करे, अनुजा देन के लिये सामान्य निर्देश विनिश्चित कर सकती है। ऐसी नियुक्ति फिर भी आयोग की सहमति के अधीन होंगी, जैसा कि कथित उपनियम हास अपेक्षा को गई है।

36. वरिष्ठता (Seniority)

सेवा में संवर्गित (Encastered) पद पर नियुक्त अधिकारी को वरिष्ठता (Seniority) का निर्धारण इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में (In accordance), पद पर नियमित चयन (Regular Selection) के पश्चात् नियुक्ति तिथि (Date of appointment) से किया जायेगा। तदर्थ (Adhoc) या आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर को गई नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् को गई नियुक्ति नहीं समझी जायेगी (Shall not be deemed to be appointment after regular Selection)।¹

स्पष्टीकरण

उनके मामलों में, जो पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद पदोन्नति किये गये हैं, संस्थायी नियुक्ति के वर्ष का अर्थ होगा, वह वर्ष जिसमें सामान्यतया पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाता।

प्रकृति प्रतिवर्त्य यह है कि:-

(1) इन नियमों के लागू होने से पूर्व और/या पर्व पुनर्संगठित राजस्थान राज्य सेवा में एकीकरण की प्रक्रिया से या राज्य पुनर्संगठित अधिनियम (State Re-organisation Act), 1956 द्वारा संस्थापित नये राजस्थान राज्य की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों को पारस्परिक वरिष्ठता (Seniority inter-se), नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ आधार (Adhoc Basis) पर विनिश्चित (Determined), संशोधित (Modified) या बदली (Altered) जाएगी, किन्तु किसी विशेष खण्ड (Particular Section) में दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति तिथि समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ व्यक्ति ऊँचा रखा जाएगा। जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी विशेष खण्ड में समान नियुक्ति तिथि और जन्म तिथि रखते हैं, तो अधिक शैक्षणिक योग्यतायें रखने वाला व्यक्ति ऊँचा रखा जाएगा।

(2) यदि किसी विशेष खण्ड में किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति एक ही वर्ष में नियुक्त किये जाते हैं, तो पदोन्नति से नियुक्त व्यक्ति, सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

(3) किसी विशेष खण्ड में सीधी भर्ता के एक और समान चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों, सिवाय उनके जिन्हें पद दिया जाता है और जो सेवा में कार्य ग्रहण नहीं करते हैं, को पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में होगी, जिसमें उनके नाम: नियम 29 के अधीन बनाई गई सूची में रखे गये हैं।

1. विहीन संघा एक.7 (1)कार्यक्रम-II/96 और एस.आर.-61 दिनों के अन्तर्वर्ती 10,2002 से प्रतिस्थापित, जो संज्ञान राजपत्र, अन्तर्वर्ती 4 (प्र.) (I) दिनांक 15-12-2002 के पार 100 (8) पर प्रकाशित गया तब से उपलब्ध है।

(4) अनुसूची-I के¹ [अनुभाग-I, II, IV, V और VI] में सम्मिलित उप-निरीक्षक/स्लाइन कमांडर के पदों पर, नियम 17 के उप-नियम 2 के परन्तु (ए) में अन्तर्भित प्रावधानों के अनुसरण में नियुक्त व्यक्ति, नियम 25 के अन्तर्गत समान वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों से कठिन होंगे।

(5) किसी विशेष खण्ड में पदोन्नति से किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में होगी, जिसमें उनके नाम, नियम 27 के उप-नियम (6) के अन्तर्गत नियमों के प्रावधानों के अधीन तैयार की गई सूची में रखे गये हैं और किसी विशेष श्रेणी के पदों पर पदोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, वही होगी, जैसी कि निम्न श्रृंखला (Below Grade) में है।

(6) किसी उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करने के आधार पर कोई व्यक्ति, उच्च वरिष्ठता का हकदार नहीं होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति नियम 4 के अन्तर्गत, अपनी प्रार्थना पर एक खण्ड से दूसरे खण्ड में जाने दिया जाता है (Allowed to Move) तो उस विभाग में, जहाँ उसका स्थानान्तरण किया गया है, उस विशेष रेक में वह कठिनतम (Junior Most) रहेगा।

परन्तु एक अध्यर्थी, जो विज्ञति संख्या एफ. 7(5) डी.ओ.पी./ए-II 96, दिनांक 01.04.1997 द्वारा अन्तर्विष्ट परन्तुक के लाभ में तात्कालिक उच्च पद (Immediate Higher Post) पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर चुका है, को पदावनत नहीं किया जाएगा। (Shall Not Be Reverted) और उसकी वरिष्ठता (Seniority) अप्रभावित (Unaffected) रहेगी। यह परन्तुक भारत के मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 234/2002 अंत इण्डिया इक्वीलिटी फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन (Subject To Final Decision) है²

(8) भर्ती के तरीके से सम्बन्धित नियम में (In rule relating to method of recruitment), इन संशोधित नियमों द्वारा (By these amendment rules) परन्तुक (Proviso) के अधीन स्क्रीन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se-seniority) उनकी अनियमित नियुक्ति (Irregular appointment) के पश्चात् निरन्तर सेवा अवधि (Length of Continuous Service) के अनुरूप (According to) विनिश्चित की जाएगी (Shall be determined) ये व्यक्ति इन संशोधित नियमों के लागू होने के पूर्व (Before the Commencement) नियमित नियुक्ति (Appointed regularly) व्यक्तियों से कठिन होंगे (Shall rank junior)³

(1) स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध (Against a clear Vacancy) सीधी भर्ती द्वारा (By direct recruitment) सेवा में व्रेश करने वाले किसी व्यक्ति को दो वर्षों के लिये परिवीक्षा प्रशिक्षा (Probationer trainee) के रूप में रखा जाएगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

ऐसी नियुक्ति के बाद कोई समयावधि (Any Period) जिसके दौरान कोई व्यक्ति समकक्ष (Corresponding) अवधा उच्च (Higher) पद पर प्रतिनियुक्ति पर (On deputation) रहा है, परिवीक्षा अवधि के लिये गणना की जाएगी।

(2) उप-नियम 1 में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि के दौरान, प्रत्येक परिवीक्षा प्रशिक्षा, ऐसी विभागीय परीक्षा (Departmental Examination) एवं ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा (To undergo such training), जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके (May Specify)⁴

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) डीओपी/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नियम 36 के खण्ड (4) में उक्त शब्द प्रतिव्याप्ति।
2. अधिसूचना संख्या 7 (1) डी.ओ.पी./ए-II/2002, जी.एस.आर. 85, दिनांक दिसम्बर 28, 2002 द्वारा अन्तर्भित एवं पूर्व में किया गया प्रावधान दिनांक 1.4.1997 से हटाया हुआ गया जायेगा।
3. विज्ञति संख्या एफ 5 (2) डी.ओ.पी./ए-II/2008, पार्ट-1, जी.एस.आर. 22 दिनांक जुलाई 8, 2009 द्वारा नया परन्तुक जोड़ गया, जो तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हुआ।
4. विज्ञति संख्या 7 (2) डी.ओ.पी./ए-II/2005, जी.एस.आर. 81, दिनांक अनवरी 20, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित जो तुरन्त प्रवृत्त

(3) परिवीक्षा प्रशिक्षा (Probationer trainee) के रूप में बिताई गई अवधि अनुभव (Experience) एवं पदोन्नति के लिये पात्रता (Eligibility for Promotion) हेतु गणना नहीं की जाएगी (Shall not be counted)।¹

स्पष्टीकरण:

ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो मर जाता है, या अधिवार्षिकी आयु (Age of Superannuation) प्राप्त करने के कारण सेवा निवृत्त होने वाला है परिवीक्षा अवधि इस प्रकार कम कर दी जाएगी कि वह राज्य सेवा से उसकी सेवा निवृत्ति या मृत्यु की दिनांक के ठीक पूर्व की दिनांक पर एक दिन पूर्व समाप्त हो जावे। मृत्यु या सेवा निवृत्ति के मामले में स्थायीकरण, (पुष्टिकरण, Confirmation) के सम्बन्ध में नियम में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त त्याग को हुई समझी जाएगी (Shall be deemed to have waived)।

37-ए. परिवीक्षा के दौरान वेतन (Pay during Probation):

सीधी भर्ती से सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षा (Probationer trainee), को सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित (Fixed) की जाने वाली दरों से परिवीक्षा अवधि के दौरान (Period of Probation) मासिक निर्धारित मानदेय (Fixed remuneration) दिया जायेगा।

परन्तु यह है कि कर्मी (Employee) जो एन्ज सेवा में (In Government Service), नियुक्ति नियमों के प्रावधानों (Provisions of recruitment rules) के अनुसार नियमित रूप से चयानित हुये हैं (Selected regularly) परिवीक्षा प्रशिक्षा के रूप में सेवा के दौरान पद की विद्यमान वेतन श्रृंखला (Existing pay scale of the post) में उसकी स्वयं की वेतन श्रृंखला में परिलक्षित व्यक्तियों (Emoluments) अवधा नये पद (New post) का स्थिर मानदेय (Fixed remuneration), जो उसके लिये लाभदायक है (Which is advantageous to him/her), अनुज्ञय किया जा सकता है (May be allowed)²

38. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पदावनति (Reversion of Probationer):

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थायीकरण का कोई आदेश छः माह की अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो एक कर्मचारी, जो अस्थायी या स्थानापन आधार पर नियुक्त किया गया है, जिसने भर्ती के किसी एक तरीके से हुई उसको नियति भर्ती की दिनांक के बाद, दो वर्ष की यु.वे, जो पदोन्नति से नियुक्त हुए हैं, के मामले में जहाँ विहित परिवीक्षा अवधि कम हैं, किसी पद या उच्च पद पर उसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन, सेवा अवधि पूर्ण कर ली है या यदि प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण में नहीं होता, तो इस प्रकार कार्य कर लेता है, स्थायी रिक्तियों के होने पर यदि नियमों के अन्तर्गत वे ही शर्तें हों, जो विहित की गई हैं, स्थायी मानने हेतु उसकी वरिष्ठता के अनुसार योग्य समझा जायेगा। यदि सेवा का कोई सदस्य परिवीक्षा अवधि के दौरान अपने बारे में संतोषप्रद विवरण देने में असफल रहता है और वह सेवा में स्थायी नहीं किया जाता, तो उसे उस पद पर पदावनत कर दिया जाएगा, जिस पर उसका पूर्वाधिकार (लियन) है।

39. स्थायीकरण, परिवीक्षा में वृद्धि और सेवा पृथक्कीकरण (पदच्युति) (Confirmation, Extension of probation & Discharge):

सेवा का एक सदस्य, जो सफलतापूर्वक उसका परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेता है और महानिरेशक पुलिस द्वारा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है परिवीक्षाअवधि की समाप्ति पर, स्थायीकरण के लिये पात्र होना बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उसकी सत्यता (अखण्डता, Integrity) अप्रशंसनीय (Un-Questionable) है और कि वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य (Fit) है।

1. विज्ञति संख्या 7 (2) डी.ओ.पी./ए-II/2005, जी.एस.आर. 48, दिनांक जून 13, 2008 से जोड़ा गया एवं 20.1.2006 से प्रभावी हुआ।
2. विज्ञति संख्या 7 (2) डी.ओ.पी./ए-II/2005, जी.एस.आर. 48, दिनांक जून 13, 2008 से नया जोड़ा गया जो 20.1.2006 से प्रभावी समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:

1. इस मामले में जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों (Un-avoidable circumstances) के कारण, वर्ष को समयावधि के पूरा हो जाने के बाद भी, विभागीय परीक्षायें नहीं हो सके, तो आशार्थी, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसी दिनांक से जिस पर उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण की है, स्थायीकरण के योग्य हो जाएगा।

2. सेवा का एक आशार्थी परिवीक्षा के अधीन यदि निर्धारित परीक्षा दो प्रयत्नों में उत्तीर्ण करने पर असफल रहता है, तो वह उस पद से परिवीक्षाधीन व्यक्ति की तरह ऐसे तरीके से सेवा से पृथक् (अलग) करने योग्य होगा या किसी निम्न पद, जिसके लिये वह पात्र हो, पर पदावनत कर दिया जाएगा।

आगे प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई व्यक्ति, सेवा के कथित समय के बाद (स्थायीकरण) से बंचित (Debar) नहीं किया जाएगा, यदि उसे, उसके संतोषजनक कार्य निष्पादन (Satisfactory Performance of His Work) के बारे में, स्थित समय के अन्दर कोई प्रतिकूल कारण (Reasons to the Contrary) संसूचित नहीं किये गये हैं।

3. जहाँ एक आशार्थी ने परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक लेखा (Satisfactory Account) नहीं दिया है या विहित परीक्षा में प्रथम प्रयत्न के दौरान असफल हो गया है, तो उसका परिवीक्षाकाल, नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

आगे प्रतिबन्ध यह भी है कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा उचित समझता है तो अनुभूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों, यथा स्थिति, के व्यक्तियों के मामले में परिवीक्षाकाल, तीन वर्षों की समयावधि से अधिक नहीं, बढ़ा सकता है:

4. जहाँ एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति निलम्बित कर दिया जाता है या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ (Disciplinary Proceedings) किया जाना प्रस्तावित है यही प्रारम्भ कर दी गई है, तो उसका परिवीक्षाकाल विभागीय कार्यवाहियों को अनिम्न रूप देने तक बढ़ाया जा सकता है।

5. एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो उप-नियम (1) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति के बाद पदावनत या सेवा से पृथक् किया जाता है, किसी मुआवजे (Compensation) का हकदार नहीं होगा।

भाग-VII**वेतन (PAY)****40. वेतन शुंखला:**

सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की मासिक वेतन शुंखला, नियम 43 में वर्णित नियमों के अधीन अनुज्ञय अनुसार अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये गये अनुसार होगा।

41. वेतन वृद्धि (Increment):¹[****]¹**42. दक्षता अवरोध पर करने का मापदण्ड (कसौटी):**

सेवा के कोई सदस्य को दक्षता अवरोध पर करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, उसने संतोषजनक ढंग से कार्य किया है और उसकी ईमानदारी (पवित्रता, सच्चाई, Integrity) अप्रश्ननीय है।

43. अवकाश, भत्ते, पेंशन का विनियंत्रण (Regulation):

इन नियमों में प्रावधित के सिवाय, सेवा के सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, अवकाश और सेवा की अन्य शर्तें निम्न द्वारा विनियंत्रित होंगी—

1. विभागीय संख्या 7 (2)डी. अं. गी./ए। 11/2005, जी. एम. अम. 81, दिनांक जनवरी 10, 2006 तीव्र।

- पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का केन्द्रीय अधिनियम V).
- राजस्थान पुलिस नियम (Rules) और विनियमन (Regulations).
- समय-समय पर संशोधित पुलिस दूर संचार संगठन मेन्युअल, 1961.
- राजस्थान सशस्त्र बल अधिनियम (R. A. C. Act), 1950.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सिविल सेवाएं (वेतन शुंखलाओं का एकीकरण) नियम, 1950.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सेवा नियम, 1961.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकृत वेतन शुंखला) नियम, 1956.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958.
- राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सेविकों का अन्तर्लिंयन) नियम, 1959.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सिविल सेवायें (संशोधित वेतन शुंखलाएं) नियम, 1961.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान सिविल सेवायें (नवीन वेतन शुंखलाएं) नियम, 1969.
- राजस्थान सिविल सेवायें (संशोधित नवीन वेतन शुंखलायें) नियम, 1976, 1983 और 1987.
- समय-समय पर संशोधित राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971.
- कोई अन्य नियम, जो सेवा की सामान्य शर्तों को निर्धारित करते हों और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुके अधीन समुचित प्रधिकारी (Appropriate Authority) द्वारा बनाये गये हों तथा तत्समय प्रभावी हों।

44. शंकाओं का निवारण:

यदि इन नियमों के लागू होने, आशय और विस्तार (Application, interpretation & Scope) के बारे में शंका उठती है, तो सरकार को कार्मिक विभाग में भेजी जायेगी और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

45. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ (Repeal & Savings):

इन नियमों से आच्छादित होने वाले मामलों के सम्बन्ध में, सभी विद्यमान नियम और आदेश एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों और आदशों के तहत की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई समझी जायेगी।

46. नियमों में शिथिलता देने की शक्ति:

असाधारण मामलों में (In Exceptional Cases) जहाँ सरकार का प्रशासनिक विभाग सन्तुष्ट है की आयु के सम्बन्ध में या भर्ती के लिये अनुभव की आवश्यकता के बारे में नियमों का लागू होना, किसी विशेष मामले में अनावश्यक ऋटिनाई उत्पन्न करता है या जहाँ सरकार इस राय की है कि इन नियमों के किसी उपबन्धों (Provisions) में किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के सम्बन्ध में शिथिलता देना आवश्यक एवं उचित (सुविधाजनक, लाभप्रद, बांधनीय) है तो वह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से और आयोग की मलाह से, मामले की व्याय एवं समता के तरीके से निपटाने हेतु, इन नियमों के सुसंगत प्रावधानों को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि आवश्यक समझ, आदेशों द्वारा छोड़ या शिथिल कर सकती हैं:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शिथिलता, इन नियमों में पूर्व में ही समाविष्ट प्रावधानों से कम अनुच्छेद (Less Favourable) नहीं होगी। शिथिलता के ऐसे मामले, प्रशासनिक विभाग द्वारा, राजस्थान लोक

अनुसूची - I

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती के स्रोत	सीधी भर्ती की योग्यताएँ हैं	पद, जिससे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता और अनुभव	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विभाग-1 सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस और इन्टेलीजेन्स शाखा तथा दूर संचार निदेशालय की सामान्य कर्तव्य शाखा (ओपरेटर/टैक्नीशियन के अलावा)

वरिष्ठ पद

1.	निरीक्षक	100% पदोन्नति द्वारा	—	उप-निरीक्षक	7 वर्ष की लगातार सेवा उप-निरीक्षक के रूप में या 5 वर्ष की लगातार सेवा, यदि उप-निरीक्षक स्नातक हो	—
2.	उप-निरीक्षक	50 % सीधी भर्ती और 50 % पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक उपाधि	सहायक उप-निरीक्षक	2 वर्ष की लगातार सेवा सहायक उप-निरीक्षक के रूप में या एक वर्ष की लगातार सेवा, यदि सहायक उप-निरीक्षक स्नातक हो	महानिदेशक कम महानिरीक्षक, पुलिस उप-निरीक्षक की रिक्तियों के 10 प्रतिशत स्थानों को नियम 17 के उप नियम 2(अ) के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भर सकते हैं।

1	2	3	4	5	6	7	
3.	सहायक उप-निरीक्षक	100 % पदोन्नति द्वारा (किसी एक विशिष्ट वर्ष में इन्टेलीजेन्स शाखा में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु आशार्थियों के उपबन्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी भर सकता है।)(नियम 22)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक उपाधि	हैड कान्स्टेबल	5 वर्ष की लगातार सेवा हैड कान्स्टेबल के रूप में या 3 वर्ष की लगातार सेवा, यदि हैड कान्स्टेबल स्नातक हो।	—	—
4.	हैड कान्स्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा	—	कान्स्टेबल	5 वर्ष की लगातार सेवा कान्स्टेबल के रूप में या 3 वर्ष की लगातार सेवा यदि कान्स्टेबल स्नातक हो।	—	—

कनिष्ठ लिपिक

5.	कान्स्टेबल	100 % सीधी भर्ती द्वारा	सैकण्डरी या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड	—	—	—
----	------------	-------------------------	---	---	---	---

से समकक्ष परीक्षा
उत्तीर्ण

विभाग- II मेवाड़ भोल कौर(एम.बी.सी.)

वरिष्ठ पद

1.	निरीक्षक	100% पदोन्नति द्वारा	—	उप-निरीक्षक	7 वर्ष की लगातार सेवा उप-निरीक्षक के रूप में या 5 वर्ष की लगातार सेवा, यदि उप- निरीक्षक स्नातक हो	—
2.	उप-निरीक्षक	50 % पदोन्नति द्वारा एवं 50 % सीधी भर्ती द्वारा	[भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्गमित (Incorporated) विश्वविद्यालयों (Universities) में से किसी या संसद (Parliament) अथवा राज्य विधान मण्डल (State Legislature) के किसी अधिनियम	हैड-कान्टेक्चरल समकक्ष घोषित परीक्षा या उत्तीर्ण हो या 4 वर्ष की लगातार सेवा, यदि हैड कान्टेक्चरल हायर सैकण्डरी परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो या 4 वर्ष की लगातार सेवा, यदि हैड कान्टेक्चरल स्नातक हो	महानिदेशक कम महानिरीक्षक, पुलिस उप-निरीक्षक की रिक्तियों के 10 प्रतिशत स्थानों को नियम 17 के उप नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भर सकते हैं।	

(an Act) द्वारा संस्थापित
(Established) अन्य
(किसी) शैक्षणिक
संस्थान (Other
Educational
Institution) या
विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग (University
Grants
Commission)
अधिनियम (Act)
1956 की धारा 3 के
अन्तर्गत घोषित
अभिप्रेत विश्वविद्यालय
(Deemed
University) की
स्नातक उपाधि या
आयोग के परामर्श से
सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक

1	2	3	4	5	6	7
			योग्यता (Equivalent Qualification)			
1.	हैड-कास्टेबल	100 % पदोन्नति द्वारा	—	कास्टेबल	5 वर्ष की लगातार सेवा कास्टेबल के रूप में या 4 वर्ष की लगातार सेवा यदि कास्टेबल हाथर सैकण्डरी परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो या 3 वर्ष की लगातार सेवा, यदि कास्टेबल स्नातक हो।	—

राजस्थान पुलिस नियम

अनिष्ट लिपिक

कास्टेबल	100% सीधी भर्ती द्वारा	मान्यता प्राप्त स्कूल से —
		आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

[अनिष्ट]

विज़सि संख्या एफ. 2 (1) कार्यिक /ए-II/2003 जी.एस.आर 99, दिनांक फरवरी 20, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित जो राजस्थान गजपत्र असाधारण भाग 4 (ग) (I) दिनांक 25-2-2003 के युक्ति 173 (2) पर प्रकाशित एवं त्रितीय प्रभाव में रखना।

1	2	3	4	5	6	7
विभाग III पुलिस दूर-संचार						
1.	निरीक्षक	75% पदोन्नति द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती द्वारा	दूरसंचार/इलेक्ट्रोनिक्स/ इलेक्ट्रीकल में स्नातक स्तर की इंजीनियरिंग उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि	(अ) उपनिरीक्षक सुपरवाईजर/आपरेटर टैक्नीशियन (ब) उप-निरीक्षक आपरेटर/टैक्नीशियन	(I) राज्य पुलिस दूर- संचार निदेशालय की प्रथम ब्रेणी/टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण, एवं (II) उप-निरीक्षक सुपरवाईजर-आपरेटर/ टैक्नीशियन का तीन वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर- संचार निदेशालय की प्रथम ब्रेणी आपरेटर टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण	
2.	निरीक्षक(दूरसंचार 100% पदोन्नति गूढ़ लेख द्वारा	— लेख)	या “दूर संचार” विशेष विषय के साथ एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र या इसके समकक्ष	उप-निरीक्षक (गूढ़ निदेशालय की प्रथम ब्रेणी आपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) उप-निरीक्षक (गूढ़ लेख) का 5 वर्ष का	(I) राज्य पुलिस दूर संचार	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989

अनुसूची ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	उप-निरीक्षक सुपरवाइजर आपरेटर/ टैक्नीशियन	100% पदोन्नति द्वारा	—	अनुभव उप-निरीक्षक आपरेटर/टैक्नीशियन	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की प्रथम श्रेणी आपरेटर/ टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) उप-निरीक्षक आपरेटर/टैक्नीशियन का दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी आपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण (II) सहायक उप निरीक्षक आपरेटर का दो वर्ष का अनुभव	
4.	उप-निरीक्षक आपरेटर	75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व- विद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या राज्य पुलिस संचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी आपरेटर परीक्षा	सहायक उप-निरीक्षक आपरेटर	महानिदेशक कम महानिरीक्षक पुलिस उप-निरीक्षक आपरेटर की रिक्तियों के 10% (II) सहायक उप निरीक्षक आपरेटर का दो वर्ष का अनुभव के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भर सकते हैं।	

1	2	3	4	5	6	7
5.	उप-निरीक्षक (गूढ़ लेख)	100% पदोन्नति द्वारा	—	उत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी आपरेटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव	सहायक उप-निरीक्षक गूढ़ लेख	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी आपरेटर/ टैक्नीशियन/गूढ़ लेख परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) सहायक उप-निरीक्षक गूढ़ लेख का दो वर्ष का अनुभव
6.	उप-निरीक्षक टैक्नीशियन	75% पदोन्नति द्वारा एवं 25 % सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या	सहायक उप-निरीक्षक टैक्नीशियन/ इलेक्ट्रीशियन	महानिदेशक कम महानिरीक्षक पुलिस उप-निरीक्षक की रिक्तियों के 10% एवं (II) सहायक उप निरीक्षक टैक्नीशियन/ इलेक्ट्रीशियन का दो वर्ष का अनुभव	स्थानों को नियम 17 (अ) के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भर सकते हैं

1	2	3	4	5	6	7
			मान्यता प्राप्त संस्था रेडियो टेली- कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग- इलेक्ट्रीकल कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या राज्य पुलिस या दूर संचार निदेशालय राजस्थान की द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन परीक्षा एवं द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन का दो वर्ष का अनुभव			
7.	उप-निरीक्षक फिटर/ इलेक्ट्रीशियन	75% पदोन्नति द्वारा एवं 25 % सीधी भर्ती द्वारा	मान्यता प्राप्त संस्थान से मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई	सहायक उप-निरीक्षक फिटर/ इलेक्ट्रीशियन परीक्षा दो वर्ष का अनुभव	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी फिटर/ इलेक्ट्रीशियन परीक्षा दो वर्ष का अनुभव	महानिदेशक कम महानिरीक्षक पुलिस उप-निरीक्षक की रिक्तियों के 10% उपर्योग वाले नियम 17

1	2	3	4	5	6	7
			अन्य उपाधि या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी फिटर/ इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण तथा द्वितीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण तथा द्वितीय श्रेणी फिटर/ इलेक्ट्रीशियन का दो वर्ष का अनुभव	(II) सहायक उप- निरीक्षक फिटर/इलेक्ट्रीशियन का दो वर्ष का अनुभव नोट—उप निरीक्षक फिटर/इलेक्ट्रीशियन के ऐसे पद राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय में सूचित होने पर भरे जाएंगे।		के उप-नियम 2 (अ) के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भर सकते हैं।
8.	सहायक उप-निरीक्षक ऑपरेटर	75% पदोन्नति द्वारा एवं 25 % सीधी भर्ती द्वारा	(I) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ प्रथम वर्ष टी.डी.सी. परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा या (II) राज्य पुलिस दूर-संचार निदेशालय	(अ) हैंड कांस्टेबल आपरेटर (ब) कांस्टेबल आपरेटर	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी आपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) हैंड कांस्टेबल आपरेटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी आपरेटर	

1	2	3	4	5	6	7
9.	सहायक उप-निरीक्षक गूढ़ लेख	100% पदोन्नति द्वारा	की तृतीय श्रेणी आपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण व तृतीय श्रेणी आपरेटर का दो वर्ष का अनुभव	— हैड कांस्टेबल	परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) कांस्टेबल आपरेटर के रूप में चार वर्ष का अनुभव	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी आपरेटर गूढ़ लेख परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) हैड कांस्टेबल के रूप में दो वर्ष का अनुभव
10.	सहायक उप-निरीक्षक टैक्नीशियन	75% पदोन्नति द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती द्वारा	(I) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ प्रथम वर्ष टी.डी.सी. परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा या (I) मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो	(अ) हैड कांस्टेबल टैक्नीशियन (ब) कांस्टेबल टैक्नीशियन	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण (II) हैड कांस्टेबल टैक्नीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण (II) हैड कांस्टेबल टैक्नीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं

1	2	3	4	5	6	7
11.	सहायक उप-निरीक्षक फिटर/ इलेक्ट्रीशियन	75 % पदोन्नति द्वारा एवं 25 % सीधी भर्ती द्वारा	मैकेनिक पाठ्यक्रम का योग्यता प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या (II) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन का दो वर्ष का अनुभव मान्यता प्राप्त संस्थान का फिटर/इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम का योग्यता प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय श्रेणी फिटर/ इलेक्ट्रीशियन परीक्षा के साथ तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव	(अ) हैड कांस्टेबल फिटर/इलेक्ट्रीशियन (ब) कांस्टेबल फिटर/इलेक्ट्रीशियन	(II) कांस्टेबल टैक्नीशियन के रूप में चार वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) हैड कांस्टेबल/ फिटर/इलेक्ट्रीशियन, के रूप में दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) हैड कांस्टेबल/ फिटर/इलेक्ट्रीशियन, के रूप में दो वर्ष का अनुभव (I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय

1	2	3	4	5	6	7
12.	हैंड कांस्टेबल टैक्नीशियन	100% पदोन्नति द्वारा	—	कांस्टेबल टैक्नीशियन	श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रॉनिशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) कांस्टेबल फिटर/ इलेक्ट्रॉनिशियन के रूप में चार वर्ष का अनुभव	
13.	हैंड-कांस्टेबल आपरेटर/ टैक्नीशियन के अतिरिक्त अन्य	100% पदोन्नति द्वारा	—	कांस्टेबल आपरेटर/टैक्नीशियन के अतिरिक्त	(I) राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय की तृतीय श्रेणी टैक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं (II) कांस्टेबल टैक्नीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव कांस्टेबल आपरेटर/टैक्नीशियन के अतिरिक्त 5 वर्ष का अनुभव	
14.	हैंड कांस्टेबल आपरेटर	100% पदोन्नति द्वारा	—	कांस्टेबल आपरेटर	राज्य पुलिस दूर संचार निदेशालय, राजस्थान की तृतीय श्रेणी आपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
					एवं कांस्टेबल आपरेटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव	

कनिष्ठ पद

15.	कांस्टेबल टैक्नीशियन/ आपरेटर	100% सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से विज्ञान में हायर सैकण्डरी परीक्षा भौतिक शास्त्र व गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा	—	—	—
16.	कांस्टेबल, आपरेटर/ टैक्नीशियन के अतिरिक्त	100% सीधी भर्ती द्वारा	मान्यता प्राप्त विद्यालय/परीक्षा मण्डल से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	—	—	—

विभाग IV - राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी (आर.ए.सी.)

वरिष्ठ पद

1.	कम्पनी कमाण्डर	100% पदोन्नति द्वारा	—	स्लाइन कमाण्डर	स्लाइन कमाण्डर के रूप में 7 वर्ष की निरन्तर
----	-------------------	----------------------	---	----------------	--

1	2	3	4	5	6	7
(निरीक्षक)						
2.	प्लाटून कमांडर (उप-निरीक्षक) 50% पदोन्तति द्वारा एवं (उप-निरीक्षक) 50 % सीधी भर्ती द्वारा	[भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल द्वारा निगमित (Incorporated) विश्वविद्यालयों (Universities) में से किसी या संसद (Parliament) अथवा राज्य विधान मण्डल (State Legislature) के किसी अधिनियम (An Act) द्वारा संस्थापित (Established) अन्य (किसी) शैक्षणिक संस्थान (Other Educational Institution) या विश्वविद्यालय अनुदान	हैंड कांस्टेबल	सेवा या यदि स्नातक हो तो 5 वर्ष की निरन्तर सेवा सात वर्ष की लगातार सेवा हैंड-कांस्टेबल के रूप में या 5 वर्ष की लगातार सेवा यदि हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो या 4 वर्ष की लगातार सेवा यदि स्नातक हो।		

2	3	4	5	6	7
हैंड कांस्टेबल 100% पदोन्तति द्वारा	—	कांस्टेबल	पाँच वर्ष की लगातार सेवा कांस्टेबल के रूप में या चार वर्ष की लगातार सेवा यदि		

1	2	3	4	5	6	7
					हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या 3 वर्ष की लगातार सेवा, यदि स्नातक हो।	

कनिष्ठ पद

1. कांस्टेबल 100% सीधी भर्ती द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय

अनुसूची-II

¹[अनुभाग-I, II और V में उप निरीक्षक के पद के लिए तथा अनुभाग-IV और VI में प्लाटून कमांडर के पद] के लिये आयोग द्वारा एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन ऐसे स्थानों और समय पर किया जावेगा जिसको सूचना आयोग द्वारा नीचे बताये गये प्रतिरूप के अनुसार दी जायेगी—

क्र.सं.	विषय	अवधि	अधिकतम
1.	सामान्य हिन्दी	¹ [2] घण्टा	200
2.	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान (उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिया जा सकेगा)	¹ [2] घण्टा	200

नोट:—प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम और स्तर आयोग से विचार-विमर्श के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) दीओपी/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा 3 घण्टे की अगह प्रतिस्थापित।

1[अनुभाग-V आमूचना शोखा

1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ पद :						
1.	निरीक्षक	100% पदोन्ति द्वारा		उप निरीक्षक	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 5 वर्ष का अनुभव	
2.	उप निरीक्षक	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्ति द्वारा	भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय या संसद् या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित विश्वविद्यालय की डिग्री धारक होना चाहिए या उसके पास सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता होनी चाहिए	सहायक उप निरीक्षक	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 2 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 1 वर्ष का अनुभव।	नियम 17 के उप नियम (2) के परन्तुक (क) के अनुसार पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप निरीक्षक के पद की 10% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भर सकेगा।

1. अधिसूचना सं. एफ.(2) दीओपी/ए-II/2003 दिनांक 27-01-2014 द्वारा नया अनुभाग V एवं VI जोड़ गया।

3.	सहायक उप निरीक्षक	100% पदोन्नति द्वारा (किसी वर्ष विशेष में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अध्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा रिक्त सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकेगी) (नियम 22)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में डिग्री।	हैड कांस्टेबल	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पद 5 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का अनुभव।	
4.	हैड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा		कांस्टेबल	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पद 5 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का अनुभव।	

कनिष्ठ पद :

5.	कांस्टेबल	100% सीधी भर्ती द्वारा	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता।			
----	-----------	------------------------	---	--	--	--

अनुभाग-VI राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल

1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ पद :						
1.	कम्पनी कमांडर (निरीक्षक)	100% पदोन्नति द्वारा		प्लाटून कमांडर (उप निरीक्षक)	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पद 5 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 5 वर्ष का अनुभव	यदि इस अनुभाव में सम्मिलित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अध्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद अन्य अनुभागों में नियुक्त व्यक्तियों में से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे।
2.	प्लाटून कमांडर	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा	भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय या संसद् या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित	हैड कांस्टेबल	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 5 वर्ष का अनुभव।	नियम 17 के उप नियम (2) के परन्तुक (क) के अनुसार पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप निरीक्षक के पद की 10% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भर सकेगी।

			विश्वविद्यालय का डिग्री धारक होना चाहिए या उसके पास र.र.कार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता होनी चाहिए।		
3.	हैंड कॉस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा		कॉस्टेबल	संभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पद 5 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का अनुभव।
कनिष्ठ पद :					
4.	कॉस्टेबल	100% सीधी भर्ती द्वारा	मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।]		

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ.2 (1) डीओपी/ए-II/2003

जयपुर, दिनांक : 17.5.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11 का संशोधन।— राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 11 में,—

- (i) परन्तुक (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति “तीन वर्ष” के स्थान पर अभिव्यक्ति “चार वर्ष” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) अधिसूचना संख्याक एफ.2(1) डीओपी/ए-II/2003 दिनांक 13.06.2005

द्वारा अंतर्स्थापित विद्यमान निम्नलिखित परन्तुक (5):—

“(5) अधिसूचना संख्याक एफ.7(2) डीओपी/ए-II/84-पार्ट दिनांक 25.06.2004 के उपबन्ध इन नियमों के नियम 11 के खण्ड (ख) पर लागू नहीं होंगे।”

‘ हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

17.5.2018
(सुनील शर्मा)
संयुक्त आमन्त्र अधिवक्ता।
कार्मिक (क-2)

शासन अधिकारी।
शासन अधिकारी।

23/2018

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(Gr. A -II)**

No. F 2 (1) DOP/A-II/2003

Dated : 17.5.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Police Subordinate Service (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force with immediate effect.


2. Amendment of rule 11.- In rule 11 of the Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989,-

- (i) in proviso (3), for the existing expression "three years", the expression "four years" shall be substituted; and
- (ii) the existing following proviso (5), inserted by the notification number F.2(1)DOP/A-II/2003 dated 13-06-2005:-

"(5) the provisions of Notification No. F.7(2)DOP/A-II/84-pt. dated 25.06.2004 shall not be applicable to clause (b) of rule 11 of these rules."

shall be deleted.

By order and in the name of the Governor


17/5/2018
(Sunil Sharma)

Joint Secretary to the Government

23/2018